

**परिशिष्ट—1.1 (अ)**  
 (संदर्भ: कंडिका—छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य; पृष्ठ—1)  
**छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा**

**अ—सामान्य आंकड़े**

सं. क्र.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्र		1,35,192 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	अ	2001 की जनगणना के अनुसार	2.08 करोड़
	ब	2011 की जनगणना के अनुसार	2.55 करोड़
3	अ जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)		154 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
	ब	जनसंख्या का घनत्व <sup>1</sup> (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या <sup>2</sup> (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत=21.90 प्रतिशत )		39.9 प्रतिशत
5	अ साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =64.80 प्रतिशत)		64.66 प्रतिशत
	ब साक्षरता <sup>3</sup> (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =73.00 प्रतिशत)	70.30 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर <sup>4</sup> (जैसा की वर्ष 2016 में)(प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) (राष्ट्रीय औसत =34 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		39 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा <sup>5</sup> (वर्ष 2011–15 संपूर्ण भारत का औसत = 68.30)		65.20
8	मानव विकास सूची <sup>6</sup> 2007–2008(संपूर्ण भारत =0.467)		0.358
9	गिनी कोएफिशियेन्ट <sup>7</sup>		
	अ ग्रामीण ( राष्ट्रीय=0.29)	0.28	
	ब शहरी ( राष्ट्रीय=0.38)	0.33	
	वर्तमान मूल्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद <sup>8</sup> (जी.एस.डी.पी ) 2017–18वर्तमान मूल्यों पर		₹ 2,91,681 करोड़ में
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2008–09 से 2017–18) सी.ए.जी.आर		
	सामन्य राज्य श्रेणी	13.10	
	छत्तीसगढ़	11.60	
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद सी.ए.जी.आर (2008–09 से 2017–18)		
	सामन्य राज्य श्रेणी	14.50	
	छत्तीसगढ़	13.00	
12	जनसंख्या वृद्धि (2008 से 2017)		
	सामन्य राज्य श्रेणी	11.60	
	छत्तीसगढ़	12.40	

**ब. वित्तीय आंकड़े**

सी.ए.जी.आर	विवरण		(प्रतिशत में)	
	2008–09 से 2016–17		2016–17 से 2017–18	
	सामान्य राज्य श्रेणी	छत्तीसगढ़	सामान्य राज्य श्रेणी	छत्तीसगढ़
क.	राजस्व प्राप्तियों का	15.10	16.65	11.30
ख.	स्वयं का राजस्व का	14.90	24.37	12.20
ग.	कर भिन्न राजस्व का	9.50	12.55	5.90
घ.	कुल व्यय का	15.80	16.38	4.70
ङ.	पूँजीगत व्यय का	14.00	16.25	1.00
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	14.50	21.58	6.20
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.20	24.68	10.70
ज	मजदूरी एवं वेतन का	13.40	15.25	8.90
झ	पेंशनका	16.20	17.94	22.90

(स्रोत :राज्य शासन के वित लेखाओं पर आधारित वित्तीय आंकड़े)

1 जनगणना जानकारी 2011 में भारत की कुल जनसंख्या आंकड़े।

2 आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 (जनवरी 2018), भाग, 2 पृष्ठ अ 160–161।

3 आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 (जनवरी 2018), भाग, 2 पृष्ठ अ 155।

4 आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 (जनवरी 2018), भाग, 2 पृष्ठ अ 151।

5 आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 (जनवरी 2018), भाग, 2 पृष्ठ अ 151।

6 आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 (जनवरी 2018), भाग, 2 पृष्ठ अ 161और वर्ष 1999–2000 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का मानव विकास सूची सम्मिलित नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन वर्ष 2000 के दौरान हुआ।

7 एचटीटीपी / प्लानिंगकमीशनएनआईसीआईएन/डाटा/डाटाटेबल/डाटा2312 / डाटाबुकडीइसी2014:20106.पीडीएफ

8 आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ 2017–18।

**परिशिष्ट-1.1 (ब)**  
**(संदर्भ: कंडिका-1.1: पृष्ठ-1)**  
**शासकीय लेखों की संरचना एवं प्रपत्र**

**सरकार के लेखे की संरचना:** राज्य शासन के लेखे तीन भागों (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखे में रखा जाते हैं।

**भाग (I) समेकित निधि:** राज्य शासन द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनियम पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है।

**भाग (II) आकस्मिकता निधि:** भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रिम के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है। बाद में विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है। तब आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है।

**भाग (III) लोक लेखा:** कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के हिस्से नहीं हैं, इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है एवं जो विधान मंडल के द्वारा मत के अधीन नहीं है।

**भाग—स: वित्त लेखों की रूपरेखा**  
**वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है।**

**खण्ड-1 – सारांशीय विवरणी**

विवरण क्र. 1	वित्तीय स्थिति का वितरण—वर्ष के अंत में शासन के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संचयित आंकड़े।
विवरण क्र. 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण—वर्ष के दौरान शासन द्वारा सरकारी लेखे में तीन भागों में रखे गये प्राप्तियाँ एवं संवितरण।
विवरण क्र. 3	प्राप्तियों का विवरण—शासन की राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं शासन द्वारा उधार से प्राप्तियों का विवरण।
विवरण क्र. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण—कार्यकलाप एवं क्रियाकलाप अनुसार व्यय का विवरण।
विवरण क्र. 5	प्रगामी पूँजीगत परिव्यय का विवरण—पूँजीगत व्यय का प्रगामी जोड़ मार्च 2018 अंत तक का सारांशी विवरण।
विवरण क्र. 6	उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण—शासन के उधारों का सारांशी विवरण जिसमें आंतरिक ऋण भारत सरकार से प्राप्त कर्ज़, अन्य दायित्व एवं ऋणों की सेवायें।
विवरण क्र. 7	शासन द्वारा दिये गये कर्ज़ तथा पेशगियों का विवरण—राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋणों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान और वसूलियों का बकाया इत्यादि।
विवरण क्र. 8	वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लिए विभिन्न संबंधित पूँजीगत शेयर एवं ऋण पत्र में शासकीय निवेश का तुलनात्मक सारांश।
विवरण क्र. 9	शासन द्वारा दिए गए प्रत्याभूतियों का विवरण—सांविधिक निगमों, स्थानीय निगमों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति।
विवरण क्र. 10	राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण क्र. 11	प्रभारित एवं दत्तमत व्यय का विवरण—वर्ष के दौरान किये गए व्यय के भारित एवं दत्तमत मध्य वितरण।
विवरण क्र. 12	वर्ष 2017–18 के अंत तक व्यय (राजस्व लेखे के अतिरिक्त) के लिये अन्य निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 13	समेकित निधि, आकस्मिता निधि एवं लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सारांश, ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से संबंधित लेखे के शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियाँ संवितरण एवं शेषों का विस्तृत लेखा।

**खण्ड-2 – विस्तृत विवरणी**

विवरण क्र. 14	राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 16	मुख्य शीर्षवार तथा लघुशीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण: वर्ष 2017–18 के अंत तक खर्च किए गये विस्तृत पूँजीगत व्यय एवं पिछले वर्ष की आंकड़ों से तुलना को दर्शाता है।
विवरण क्र. 17	उधारों तथा अन्य दायित्वों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 18	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विस्तृत विवरण: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान, 31 मार्च 2018 तक का विस्तृत लेखा।
विवरण क्र. 19	शासन के निवेशों का विस्तृत विवरण: 31 मार्च 2018 के अंत तक सांविधिक निगमों, शासकीय कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य शासन के निवेश का विवरण
विवरण क्र. 20	शासन द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियों का विवरण—संस्थावार
विवरण क्र. 21	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 22	चिह्नित निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण।

## परिशिष्ट – 1.2

(संदर्भ: कंडिका-1.1.1: पृष्ठ-1)

### वित्तीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली विधि राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि

यह मानकर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन का अच्छा सूचक है, वृहत् राजकोषीय कुल योग जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को प्रचलित बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिनिधित्व वाले आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय अस्थिर अंक के सह दक्षता सहित उत्पलावकता की संगणना यह आंकलन करने के लिए की गई है कि संसाधनों का संग्रह व्यय की रीति इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला रहा है अथवा इन राजकोषीय कुल योग पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य तत्वों द्वारा प्रभावित होता है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2013–14 से वर्ष 2017–18 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान का आंकलन आधार वर्ष 2004–05 से वर्ष 2011–12 में परिवर्तित कर तैयार किये गए हैं। इस पद्धति में बाजार भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आंकलन उत्पादन एवं उत्पादक कर जोड़कर सब्सिडी को घटाते हुए किया गया है। इसलिए, अवधि 2013–14 से 2016–17 के दौरान पिछले प्रतिवेदनों में स.रा.घ.ज. के सापेक्ष विभिन्न परिमाप के आकड़े भी पुनरीक्षीत हुए हैं।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियाँ निम्नानुसार सूचित किया जाता है

#### सकल राज्य घरेलू उत्पाद का झुकाव

वर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ में)	2,06,833	2,21,142	2,34,212	2,62,263	2,91,681
प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	16.52	6.92	5.91	11.98	11.22
स्थिर भाव पर राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,82,579	1,85,882	1,97,069	2,13,649	2,27,866
स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.00	1.81	6.02	8.41	6.65

(झोल: सांख्यिकी की एवं कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट)

वित्तिय जोड़ों की धारा एवं रूपरेखा के कुछ चुनिंदा मदों की परिभाषा निम्नानुसार है:

मद	गणना का आधार
वृद्धि की दर (आरओजी)	[(चालू वर्ष की राशि / पिछले वर्ष की राशि)–1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान / [(पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि+चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं) / 2]*100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि–औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टाक*ब्याज विस्तार
दिये गये बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	ब्याज प्राप्ति / [(प्रारंभिक शेष+ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष) / 2]*100
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	राजस्व प्राप्ति–राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+निवल ऋण एवं अग्रिम–राजस्व प्राप्तियाँ–विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा–ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियों से घटायें सभी योजना अनुदानों एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष 2048 में दर्ज व्यय को छोड़कर ऋण परिहार को कम करने के लिए विनियोग
संसाधनों का अंतर	क्रमिक गैर ऋण प्राप्तियाँ–क्रमिक प्राथमिक राजस्व व्यय+क्रमिक ब्याज भुगतान

**परिशिष्ट – 1.3 (भाग – अ)**  
 (संदर्भ: कंडिका-1.1.1: पृष्ठ-1)  
**वर्ष 2017–18 के प्राप्ति एवं भुगतान का सार**

(₹करोड़ में)

2016–17		प्राप्तियाँ	2017–18		2016–17		भुगतान	2017–18
53,685.25		राजस्व प्राप्तियाँ		59,647.07	48,164.60		राजस्व व्यय	56,229.75
	18,945.21	कर राजस्व	19,894.68			11,496.23	सामान्य सेवायें	12,870.41
	5,669.25	कर—मिन्न राजस्व	6,340.42			21,341.61	समाजिक सेवायें	24,371.59
	18,809.16	संघीय करों में राज्य हिस्सा	20,754.81			11,079.36	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	11,844.56
	10,261.63	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	9,275.76			2,967.27	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,606.70
		वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	1,460.23			4,104.07	जल प्रदाय स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	5,898.63
		राज्यों को अन्य हस्तांतरण अनुदान	1,921.17			121.22	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	145.30
						196.36	अनूसूचित जातियों/अनूसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	176.15
						220.04	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	255.00
						2,631.67	समाजिक कल्याण एवं पोषण	2,421.73
						21.62	अन्य	23.52
					14,176.21		आर्थिक सेवायें	17,623.09
						6,768.72	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	8,781.05
						4,299.11	ग्रामीण विकास	3,695.49
						0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00
						59.09	संचार	62.18
						524.82	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	534.44
						1,035.89	ऊर्जा	2,635.18
						758.32	उद्योग एवं खनिज	856.25
						653.58	परिवहन	943.24
						12.48	विज्ञान प्रोटोगिकी एवं पर्यावरण	8.33
						64.20	सामान्य आर्थिक सेवायें	106.93
						1,150.55	सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,364.66
53,685.25		कुल राजस्व प्राप्तियाँ	59,647.07		48,164.60		कुल राजस्व व्यय	56,229.75
	II	अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व घाटा			5,520.65		अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व आधिक्य	3,417.32
53,685.25		योग		59,647.07	53,685.25		योग	59,647.07

2016–17	प्राप्तियाँ	2017–18	2016–17	भुगतान	2017–18
2,833.72	स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष		4,658.85	0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्षण
2.37	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	3.32	9,470.51		पूँजीगत व्यय
		187.54		सामान्य सेवाएँ	303.33
		2,460.62		सामाजिक सेवाएँ	2,651.78
		516.95	497.28	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति	667.69
		325.00	289.82	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	401.19
		1,097.02	657.04	जल प्रदाय स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास	1,094.77
		0.02	0.02	सूचना एवं प्रसारण	0.00
		366.88	240.73	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण	387.91
		77.07	49.25	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	60.67
		516.95	72.87	अन्य सामाजिक सेवाएँ	39.55
		6,822.35		आर्थिक सेवाएँ	7,045.85
		92.01	63.17	कृषि एवं संबंधित सेवाएँ	84.26
		366.70	721.19	ग्रामीण विकास	655.53
		1,888.13	1,736.71	सिंचाइ एवं बाढ़ नियंत्रण	1,678.71
		907.46	130.00	ऊर्जा	824.81
		111.06	52.97	उद्योग एवं खनिज	64.76
		3,422.89	3,068.92	परिवहन	3,732.00
		7.18		विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.78
		0.30	2.71	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00
		26.61	0	कृषि एवं संबंधित सेवाएँ	4.00
		9,470.51		योग पूँजीगत व्यय	10,000.96
0.38	अंतर्राज्यीय समाशोधन	1.24	0.44	अंतर्राज्यीय समाशोधन	1.07
172.99	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	138.59	272.71	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	368.76
0.00	विद्युत परियोजनाओं से	0.00		विद्युत परियोजनाओं हेतु	0.00
1.11	सरकारी सेवकों से	(0.71 <sup>b</sup> )		सरकारी सेवकों को	0.00
172.99	अन्य से	139.30		अन्य को	368.76
5,520.65	लाया गया राजस्व अधिक्य	3,417.32	0.00	लाया गया राजस्व घाटा	0.00
5,479.93	लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,652.44	1,152.62	लोक ऋणों का पुनर्भगतान	999.88
0.00	बहाय ऋण	0.00		बहाय ऋण	0.00
5,098.40	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण	9,187.89		अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण	827.74

<sup>a</sup>त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण में सुधार के कारण त्रणात्मक शेष है। वर्ष 2016–17 में ₹0.94 करोड़ के वेतन की वसूली त्रुटिपूर्ण इस शीर्ष में दर्ज हुआ था जिसका इस वर्ष सुधार किया गया है। वर्ष 2017–18 में ₹0.23 करोड़ सरकारी कर्मचारी को कर्ज आदि की वसूली के रूप में दर्ज है।

2016–17		प्राप्तियाँ	2017–18		2016–17		भुगतान	2017–18
	0.00	अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	0.00		0.00		अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	0.00
	381.53	अधिविकर्षण के अधीन निवल लेनदेन	464.55		169.96		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	172.14
	0.00	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	0.00		2.29		आकस्मिकता निधि से विनियोग	0.00
<b>62.29</b>		आकस्मिकता निधि से विनियोग	0.00			<b>60.00</b>	आकस्मिकता निधि से व्यय	<b>0.00</b>
<b>62,693.95</b>		आकस्मिकता निधि को स्थानांतरित		<b>72,057.56</b>	<b>61,148.85</b>		लोक लेखा संवितरण	<b>71,753.74</b>
	1,126.89	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	1,435.87			699.93	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	795.26
	1,617.38	आरक्षित निधियाँ	1,224.59			977.58	आरक्षित निधियाँ	1,702.52
	46,701.87	उचंत एवं विविध	55,354.33			46,823.36	उचंत एवं विविध	55,405.07
	9,224.16	प्रेषण	10,003.60			9,175.02	प्रेषण	9,932.68
	4,023.64	निक्षेप एवं अग्रिम	4,039.17			3,472.96	निक्षेप एवं अग्रिम	3,918.21
0.00		भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्षण		0.00	<b>4,658.85</b>		वर्ष के अंत में रोकड़ शेष	<b>6,804.91</b>
						0.00	कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	0.00
						339.18	रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	637.60
						9.04	स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	10.62
						4,310.63	रोकड़ शेष नियेश	6,156.69
<b>76,766.27</b>		योग ब		<b>89,929.32</b>	<b>76,766.27</b>		योग ब	<b>89,929.32</b>

**परिशिष्ट – 1.3 (भाग – ब)**  
 (संदर्भ: कंडिका—1.1.1, 1.9.1 एवं 1.9.2; पृष्ठ—1,24 एवं 25)  
**छत्तीसगढ़ शासन की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति**

(रुक्तरुप में)

31.03.2017 की स्थिति	दायित्व	31.03.2018 को
28,330.29	आंतरिक ऋण	36,690.44
18,450.00	ब्याज सहित बजार ऋण	26,550.00
2.11	ब्याज रहित बजार ऋण	2.11
20.29	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20.29
9,857.89	अन्य संस्थाओं से ऋण	10,118.04
0	अर्थोपाय अग्रिम	0
0	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्षण	0
<b>2,047.15</b>	<b>केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>2,339.57</b>
0.68	1984–85 से पूर्व के ऋण	0.68
1.62	आयोजनेतर ऋण	1.10
2,044.89	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	1,873.53
0.19	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.19
(–)0.23	केन्द्र प्रवर्तित योजाओं के लिए ऋण	(–)0.23
0	विधायिक योजनाओं वाले राज्य के लिए अन्य ऋण	464.30
100	आकस्मिकता निधि	100
4592.47	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	6,075.40
6117.97	निक्षेप	6,238.73
4141.61	आरक्षित निधियाँ	3,648.78
163.79	उचंत एवं विविध शेष	114.07
<b>45,493.28</b>	<b>योग</b>	<b>55,207.00</b>
<b>63,346.82</b>	<b>अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत व्यय</b>	<b>73,729.48</b>
6,778.60	कम्पनियां निगमों इत्यादि में निवेश	6,724.16
56,568.22	अन्य पूँजीगत व्यय	67,005.32
<b>1,373.68</b>	<b>ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>1,172.15</b>
108.71	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	108.71
1,264.43	अन्य विकास ऋण	882.16
0.54	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	181.28
<b>1,798.63</b>	<b>आरक्षित निधि में निवेश</b>	<b>2,085.84</b>
1.92	अग्रिम	1.74
<b>307.58</b>	<b>प्रेषण शेष</b>	<b>236.66</b>
0	आकस्मिकता निधि	0.00
<b>2,860.22</b>	<b>नगदी</b>	<b>4,719.07</b>
0	कोषालय में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
339.18	रिजर्व बैंक में निक्षेप	637.60
8.7	विभागीय नगदी शेष अचल	10.28
0.34	स्थायी अग्रिम	0.34
2,512.00	नगदी शेष निवेश	4,070.85
<b>24,140.57</b>	<b>सरकारी लेखे में घटा</b>	<b>26,737.94</b>
(–)5,520.65	(1) घटाइये चालू वर्ष के राजस्व आधिकार्य	(–)3,417.32
(–)118.9	(2) प्रारूप सुधार एवं अन्य समायोजन	819.95
(–)18,738.82	वर्ष के प्रारंभ में संचयित घटा	(–24,140.57)
<b>45,493.27</b>	<b>योग</b>	<b>55,207.00</b>

**परिशिष्ट – 1.4**  
**(संदर्भ: कंडिका–1.1.3 एवं 1.3.1 : पृष्ठ– 6एवं 10)**  
**वर्ष 2017–18 के लिये बजट प्रावधान**

(रुक्तरेड़ में)

विवरण	बजट प्रावधान 2017–18	वास्तविक	बढ़ना/धटना (-)	बढ़ना/धटना का प्रतिशत (-)
राजस्व प्राप्ति	66,093.80	59,647.07	(-)6,446.73	(-)9.75
स्वयं कर राजस्व	23,420.64	19,894.68	(-)3,525.96	(-)15.05
व्यापार, विक्रय आदि पर कर	13,444.70	6,469.60	(-)6,975.10	(-)51.88
राज्य उत्पाद शुल्क	3,168.50	4,053.99	885.49	27.95
वाहन पर कर	1200.00	1180.01	(-)9.99	(-)1.67
टिकट एवं पंजीयन शुल्क	1,550.00	1,197.47	(-)352.53	(-)22.74
यात्री एवं वस्तु पर कर	1,767.06	477.66	(-)1,289.40	(-)72.97
भू-राजस्व	600.00	446.41	(-)153.59	(-)25.60
विद्युत पर शुल्क एवं कर	1,650.00	1,688.95	38.95	2.36
अन्य कर	40.38	4,380.59	4,340.21	10748.42
गैर कर राजस्व	7,704.00	6,340.42	(-)1,363.58	(-)17.70
केन्द्रीय कर एवं शुल्क का अंश	20,867.96	20,754.81	(-)113.15	(-)0.54
भारत सरकार से सहायक अनुदान	14,101.00	12,657.16	(-)1,443.84	(-)10.24
पूंजीगत प्राप्तियां	9,858.31	9,794.35	(-)63.96	(-)0.65
ऋण एवं आग्रह की वसूली	291.18	138.59	(-)152.59	(-)52.40
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0	3.32	3.32	100
शुद्ध लोक ऋण	9,067.13	9,652.44	585.31	6.46
शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियां	500	303.82	(-)196.18	(-)39.24
राजस्व व्यय	61,312.83	56,229.75	(-)5,083.08	(-)8.29
सामान्य सेवायें	14,992.21	12,870.41	(-)2,121.80	(-)14.15
राज्य के अंग	488.89	371.14	(-)117.75	(-)24.09
वित्तीय सेवायें	1,482.01	1,084.21	(-)397.80	(-)26.84
व्याज भुगतान एवं ऋण शोधान	3,242.68	3,298.33	55.65	1.72
प्रशासकीय सेवायें	4,563.67	4,192.13	(-)371.54	(-)8.14
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	5,214.95	3,924.60	(-)1,290.35	(-)24.74
समाजिक सेवायें	27,341.39	24,371.59	(-)2,969.80	(-)10.86
शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति	13,759.01	11,844.56	(-)1,914.45	(-)13.91
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,914.64	3,606.70	(-)307.94	(-)7.87
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	5,896.26	5,898.63	2.37	0.04
सूचना एवं प्रसारण	153.66	145.31	(-)8.35	(-)5.43
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग	286.61	176.15	(-)110.46	(-)38.54
श्रम एवं श्रम कल्याण	334.7	255	(-)79.70	(-)23.81

विवरण	बजट प्रावकलन 2017–18	वास्तविक	बढ़ना / घटना (-)	बढ़ना / घटना का प्रतिशत (-)
सामाजिक कल्याण और पोषण	2,966.25	2,421.72	(-)544.53	(-)18.36
अन्य	30.25	23.52	(-)6.73	(-)22.25
<b>आर्थिक सेवाएं</b>	<b>17,882.78</b>	<b>17,623.09</b>	(-)259.69	(-)1.45
कृषि एवं समवर्गी सेवाएं	8,928.50	8,781.04	(-)147.46	(-)1.65
ग्रामीण विकास	3,497.77	3,695.50	197.73	5.65
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	218.93	534.45	315.52	144.12
उर्जा	2,830.39	2,635.19	(-)195.20	(-)6.90
उद्योग एवं खनिज	837.62	856.24	18.62	2.22
यातायात	1,349.37	943.23	(-)406.14	(-)30.10
संचार	102.43	62.18	(-)40.25	(-)39.30
विज्ञान, तकनीक एवं पर्यावरण	17.01	8.33	(-)8.68	(-)51.03
सामान्य आर्थिक सेवाएं	100.76	106.93	6.17	6.12
<b>सहायता अनुदान एवं अंशदान</b>	<b>1,096.46</b>	<b>1,364.66</b>	<b>268.20</b>	<b>24.46</b>
<b>पूँजीगत व्यय जिसमें</b>	<b>14,453.83</b>	<b>10,000.96</b>	<b>(-)4,452.87</b>	<b>(-)30.81</b>
<b>सामान्य सेवाएं</b>	<b>473.89</b>	<b>303.33</b>	<b>(-)170.56</b>	<b>(-)35.99</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>	<b>3,476.79</b>	<b>2,651.77</b>	<b>(-)825.02</b>	<b>(-)23.73</b>
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	895.9	667.69	(-)228.21	(-)25.47
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	500.22	401.19	(-)99.03	(-)19.80
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,481.55	1,094.77	(-)386.78	(-)26.11
सूखना तथा प्रसार	0.02	0.00	(-)0.02	(-)100.00
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	466.37	387.91	(-)78.46	(-)16.82
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	73.58	60.67	(-)12.91	(-)17.55
अन्य सामाजिक सेवाएं	59.16	39.54	(-)19.62	(-)33.16
<b>आर्थिक सेवाएं</b>	<b>10,503.15</b>	<b>7,045.86</b>	<b>(-)3,457.29</b>	<b>(-)32.92</b>
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	148.78	84.26	(-)64.52	(-)43.37
ग्रामीण विकास	636.67	655.53	18.86	2.96
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,572.38	1,678.71	(-)893.67	(-)34.74
ऊर्जा	581.45	824.81	243.36	41.85
उद्योग एवं खनिज	73.2	64.77	(-)8.43	(-)11.52
परिवहन	6,249.17	3,732.00	(-)2,517.17	(-)40.28
ब्लडनदपबंजपवद	200.00	1.78	(-)198.22	(-)99.11
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	6.00	0.00	(-)6.00	(-)100.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	35.5	4.00	(-)31.50	(-)88.73
<b>राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-)</b>	<b>4,780.97</b>	<b>3,417.32</b>	<b>(-)1,363.65</b>	<b>(-)28.52</b>
राजकोषीय घाटा (-)	9,646.64	6,810.32	(-)2,836.32	(-)29.40
<b>प्राथमिक आधिक्य (+) / घाटा (-)</b>	<b>6,623.96</b>	<b>3,711.99</b>	<b>(-)2,911.97</b>	<b>(-)43.96</b>

**परिशिष्ट – 1.5**  
 (संदर्भ: कंडिका-1.1.4: पृष्ठ- 7)  
**वर्ष 2017–18 के दौरान महिलाओं के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय**  
**(रुक्तरेड में)**

क्र.	योजना का नाम	मूल बजट	सहायक बजट	पुर्णविनियोजन	कुल बजट	सकल व्यय	बचत/आधिक्य
1	ग्रामीण महिलाओं को भ्रमण एवं प्रदर्शनी निर्देश	1.50	0.00	(-)0.11	1.39	1.39	0.00
2	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोकस्वास्थ्य का एकीकरण	27.65	0.55	(-)10.34	17.86	16.31	1.55
3	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	1.50	0.00	(-)0.06	1.44	1.44	0.00
4	विविध संस्थाओं को अनुदान	0.63	0.00	(-)0.03	0.60	0.60	0.00
5	स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
6	कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना	8.48	0.00	(-)3.08	5.40	5.40	0.00
7	स्वास्थ्य मितानिन योजना हेतु अनुदान	1.29	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00
8	हाईस्कूल छात्राओं को निशुल्क सायकल प्रदाय	61.00	0.00	(-)1.61	59.39	59.41	(-)0.03
9	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	13.00	0.00	(-)1.37	11.63	11.63	0.00
10	समारोह हेतु अनुदान	15.00	5.07	(-)5.41	14.66	14.89	(-)0.23
11	किशोरी शक्ति योजना	1.45	0.00	(-)0.44	1.01	1.01	0.00
12	मितानिन कल्याण निधि	41.57	30.00	0.00	71.57	67.60	3.97
13	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	56.65	0.00	(-)0.51	56.14	59.95	(-)3.81
14	सबला योजना	168.34	0.00	(-)3.87	164.47	164.43	0.04
15	असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण	19.25	0.00	(-)6.76	12.49	12.49	0.00
16	राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन	215.00	34.07	(-)8.01	221.06	221.06	0.00
17	कन्या शिक्षा परिसर	12.03	0.30	(-)0.99	11.34	11.33	0.02
18	व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना	13.52	0.00	(-)4.23	9.28	6.73	2.55
19	महतारी जतन योजना	25.00	0.00	11.65	36.65	36.89	(-)0.24
20	मुख्यमंत्री अमृत योजना	41.41	0.00	(-)23.61	17.80	17.67	0.13
21	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
22	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	2,841.00	1,184.00	(-)795.22	3,229.78	3,229.78	0.00
23	दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थी के लिए शालाएं तथा संस्थाएं	17.48	0.00	(-)3.92	13.56	13.72	(-)0.15
24	शहरी क्षेत्रों में महिला शौचालय	5.00	0.00	(-)5.00	0.00	0.00	0.00
25	असंगठित सफाई कर्मगार कल्याण मंडल	10.00	0.00	(-)7.55	2.45	2.45	0.00
26	ठेका मजदूर घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	10.00	0.00	(-)4.83	5.17	5.17	0.00
27	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	1.00	11.00	(-)2.11	9.89	9.87	0.02
28	महिला जागृति शिविर योग	5.46	0.00	(-)0.50	4.96	4.96	0.00
		<b>3,639.26</b>	<b>1,264.99</b>	<b>(-)897.93</b>	<b>4,006.32</b>	<b>4,002.51</b>	<b>3.81</b>

**परिशिष्ट – 1.6**  
 (संदर्भ: कंडिका—1.3, 1.3.1 एवं 1.4; पृष्ठ—9,10 एवं 13)  
 राज्य सरकार के वित्तीय समय श्रृंखला डाटा विश्लेषण

(रुक्सोड़ में)

	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
<b>भाग अ – प्राप्तियाँ</b>					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	32,050(85)	37,988(85)	46,068(86)	53,685(90)	59,647(86)
(i) स्वयं कर राजस्व	14,343(45)	15,707(41)	17,075(37)	18,945(35.29)	19,895(33)
कृषि आय पर कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजित कर प्रणाली/विक्रय पर कर, व्यापार आदि	7,930(55)	8,429(54)	8,908(52)	9,927(52.40)	6,450(32)
राज्य आबकारी	2,549(18)	2,892(18)	3,338(20)	3,444(18.18)	4,054(20)
वहनों पर कर	651(4)	703(04)	829(05)	985(5.20)	1,180(6)
टिकट एवं पंजीयन शुल्क	990(7)	1,023(07)	1,185(07)	1,211(6.39)	1,197(6)
भू-राजस्व	226(2)	332(02)	364(02)	504(2.66)	446(2)
वस्तु एवं यात्री कर	945(7)	982(06)	1,040(06)	1,340(7.07)	478(2)
अन्य कर	1,052(7)	1,346(09)	1,411(08)	1,534(8.09)	6,070(31)
(ii) गैर कर राजस्व	5,101(16)	4,930(13)	5,215(11)	5,669(10.56)	6,340(11)
(iii) केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	7,880(24)	8,363(22)	15,716(34)	18,809(35)	20,755(35)
(iv) भारत सरकार द्वारा दिया गया सहायक प्राप्तियाँ	4,726(15)	8,988(24)	8,062(18)	10,262(19)	12,657(21)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	8.00	3.00	3.00	2.00	3.00
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1,637(4)	195(0.44)	296(0.55)	173(0.29)	139(0.20)
3(अ). अन्तर्राज्यीय समशोधन	5.00	1.00	1.00	0.38	1.00
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	33,700	38,187	46,367	53,860	59,789
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	3,932(10)	6,440(14)	7,251(14)	5,480(9)	9,652(14)
आंतरिक ऋण	3,917	6,431	7106	5,098	9,188
शुद्ध लेनदेन	—	—	—	—	—
भारत सरकार से लिया गया ऋण एवं अग्रिम	15	9	145	382	465
6. संचित निधि की कुल प्राप्तियाँ	37,632	44,627	53,618	59,340	69,441
7. आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ (6+7+8)	0	0	0	60	0
8. लोक लेखे प्राप्तियाँ	45,868	51,322	55,059	62,694	72,058
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ	83,500	95,949	1,08,677	1,22,094	1,41,499

## भाग ब – व्यय /वितरण

	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
<b>10.राजस्व व्यय</b>	<b>32,859(85)</b>	<b>39,561(85)</b>	<b>43,701(84)</b>	<b>48,165(83)</b>	<b>56,230(84)</b>
योजना	13,749(42)	20,990(53)	20,529(47)	24,253(50)	0.00
गैर योजना	19,110(58)	18,571(47)	23,172(53)	23,912(50)	0.00
सामान्य सेवायें	7,851(24)	9,041(23)	10,409(24)	11,496(24)	12,870(23)
समाजिक सेवायें	14,282(43)	15,38(39)	16,339(37)	21,342(44)	24,372(43)
आर्थिक सेवायें	9,756(30)	14,152(36)	16,053(37)	14,176(29)	17,623(31)
सहायक अनुदान एवं अशंदान	970(03)	979(02)	900(02)	1,151(02)	1,365(02)
<b>11.पूँजीगत व्यय</b>	<b>4,574(12)</b>	<b>6,544(14)</b>	<b>7,945(15)</b>	<b>9,471(16)</b>	<b>10,001(15)</b>
योजना	4,575(100)	6,535(99.86)	7,943(99.97)	9,432(99.59)	0.00
गैर योजना	(-) 01	9(0.14)	2(0.03)	39(0.41)	0
सामान्य सेवायें	182(4)	258(4)	362(05)	188(1.99)	303(3)
सामान्य सेवायें	692(15)	1,560(24)	1,807(23)	2,461(25.89)	2,652(27)
आर्थिक सेवायें	3,700(81)	4,727(72)	5,776(73)	6,822(72)	7,046(70)
<b>12.ऋण एवं अग्रिम का वितरण</b>	<b>1,319(3)</b>	<b>89(0.19)</b>	<b>165(0.32)</b>	<b>273(0.46)</b>	<b>369(0.55)</b>
<b>12(अ)राज्य अंतरीय समायोजन</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0.49</b>	<b>0.44</b>	<b>1</b>
<b>13. योग (10+11+12+12(अ))</b>	<b>38,757</b>	<b>46,195</b>	<b>51,811</b>	<b>57,909</b>	<b>66,600</b>
<b>14.लोक ऋण का पुर्णभुगतान</b>	<b>690(2)</b>	<b>1,337(3)</b>	<b>1,250(02)</b>	<b>1,153(02)</b>	<b>1,000(1)</b>
आंतरिक ऋण	541(78)	1,180(88)	1,086(87)	983(85)	828(83)
शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	149(22)	157(12)	164(13)	170(15)	172(17)
<b>15.आकस्मिकता निधि में पुर्णविनियोजन</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		<b>60</b>	<b>0.00</b>
<b>16.संचित निधि से कुल वितरण(13+14+15)</b>	<b>39,447</b>	<b>47,532</b>	<b>53,061</b>	<b>59,122</b>	<b>67,600</b>
<b>17.आकस्मिकता निधि से भुगतान</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>18. लोक लेखे से भुगतान</b>	<b>43,434</b>	<b>49,933</b>	<b>54,001</b>	<b>61,149</b>	<b>71,754</b>
<b>19. राज्य द्वारा किया गया कुल भुगतान(16+17+18)</b>	<b>82,881</b>	<b>97,465</b>	<b>1,07,062</b>	<b>1,20,271</b>	<b>1,39,354</b>
<b>भाग स – कमी</b>					
<b>20.राजस्व कमी(–)(1–10)/आधिक्य (+)</b>	<b>(-)809</b>	<b>(-)1,573</b>	<b>2,367</b>	<b>5,521</b>	<b>3,417</b>
<b>21. वित्तिय कमी (-) आधिक्य(+)(4–13)</b>	<b>(-) 5,057</b>	<b>(-) 8,008</b>	<b>(-)4,574</b>	<b>(-)4,047</b>	<b>(-)6,810</b>
<b>22.प्राथमिक कमी(–) प्राथमिक आधिक्य(+)(21+23)</b>	<b>(-) 3,706</b>	<b>(-) 6,281</b>	<b>(-)2,425</b>	<b>(-)1,360</b>	<b>(-)3,712</b>

	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
<b>भाग द – अन्य संख्याएँ</b>					
23.ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय के साथ)	1,351	1,727	2,149	2,687	3,098
24.स्थानीय निकायों आदि को	7,651	10,573	9,678	12,771.36	8,028.03
25 वित्तीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिक भुगतान का	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
लाभ उठाया (दिनों में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.तरीके एवं माध्यम/अधिक भुगतान पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,06,690	2,34,982	2,60,776	2,90,140	2,91,681
28.वर्षान्त पर लंबित ऋण	24,904	30,981	37,741	44,258 <sup>10</sup>	52,907
29.वर्षान्त पर लंबित जमानत	3,358	2,314	1,988	3,983	3,882
30.वर्षान्त पर अधिकतम जमानत राशि	7,572	9,080	14,883	12,641	6,550
31.अधूरे परियोजना की संख्या	166	167	194	145	110
32.अधूरे परियोजना में अवरुद्ध मूँजी	4,198	4,824	5,912	5,937	4,067
<b>भाग इ – वित्तीय स्वास्थ्य सूचक</b>					
<b>1. संसाधनों का प्रचलन</b>					
स्वयं कर राजस्व/घरेलू राज्य सकल उत्पाद (अनुपात)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
स्वयं गैर कर राजस्व /घरेलू राज्य सकल उत्पाद (अनुपात)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
केंद्रीय कर हस्तांतरण/घरेलू राज्य सकल उत्पाद (अनुपात)	0.04	0.04	0.06	0.06	0.07
<b>2. व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय/घरेलू राज्य सकल उत्पाद (अनुपात)	0.19	0.2	0.2	0.2	0.23
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.21	1.22	1.12	1.08	1.12
राजस्व व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.85	0.86	0.84	0.83	0.84
	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18

<sup>10</sup>वित्तीय लेखों में प्रोफार्मा सुधार के कारण वर्ष 2016–17 के आकड़ों में बदलाव।

पूंजीगत व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.12	0.14	0.15	0.16	0.15
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.11	0.14	0.15	0.16	0.15
<b>3. राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (आधिक्य) / स.रा.घ.उ. (अनुपात)	0	(-)0.01	0.01	0.02	0.012
राजकोषीय घाटा(-) / आधिक्य (+) / स. रा.घ.उ. (अनुपात)	(-)0.02	(-)0.03	(-)0.02	(-)0.01	(-)0.02
प्रारंभिक घाटा / आधिक्य / स.रा.घ.उ.(अनुपात)	(-)0.02	(-)0.03	(-)0.01	(-)0.00	(-)0.01
राजस्व घाटा / आधिक्य / राजकोषीय घाटा (अनुपात)	0.16	0.2	(-)0.52	(-)1.36	(-)0.50
<b>4. राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय देनदारियाँ / स.रा. घ.उ.(अनुपात)	0.12	0.13	0.14	0.15	0.18
राजकोषीय देनदारियाँ / राजस्व प्राप्तीयाँ (अनुपात)	0.78	0.82	0.82	0.81	0.89
प्रमात्रा विस्तार की तुलना में प्रारंभिक घाटा (अनुपात)	2.71	3.58	1.2	0.78	(-)1.73
<b>5. अन्य राजकोषीय सूचक</b>					
निवेष पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.76	0.05	0.09	0.01	0.07
चालू राजस्व से शेष (₹करोड़ में)	9,730	12,097	17,363	21,725	59,847
वित्तीय परिसंपत्तियाँ / देनदारियाँ (अनुपात)	1.48	1.36	1.47	1.53	1.48

**परिशिष्ट 2.1**

(संदर्भ: कंडिका—2.2.1, पृष्ठ 32)  
अनुदानों/विनियोगों के अतर्गत अतिरेक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान की संख्या / विनियोग	अनुदान/विनियोग की संख्या	राशि की अतिरेक
2000–01	11 अनुदान	2, 14, 23, 24, 33, 34, 60, 71, 80, 82 और 83	10.21
	2 विनियोग	6 और 24	
2001–02	14 अनुदान	6, 14, 15, 17, 23, 24, 30, 33, 45, 54, 60, 67, 71 और 83	115.9
	2 विनियोग	16 और 25	
2002–03	8 अनुदान	10, 15, 24, 33, 37, 45, 58 और 82	114.59
	2 विनियोग	20 और 67	
2003–04	4 अनुदान	12, 33, 40 और 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज भुगतान और 6	
2004–05	4 अनुदान	15, 24, 67 और 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज भुगतान, सार्वजनिक ऋण, 6, 10 और 42	
2005–06	4 अनुदान	4, 15, 24 और 39	23.27
	2 विनियोग	6 और 23	
2006–07	4 अनुदान	4, 24, 67 और 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007–08	4 अनुदान	23, 33 और 60	15.99
	3 विनियोग	13, 24 और 36	
2008–09	9 अनुदान	6, 23, 24, 40, 67, 75, 76, 80 और 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009–10	10 अनुदान	3, 6, 22, 23, 24, 25, 49, 64, 76 और 80	216.77
	5 विनियोग	3, 12, 13, 43 और 67	
2010–11	22 अनुदान	1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 23, 25, 29, 30, 39, 40, 45, 49, 56, 57, 58, 75, 82 और ब्याज भुगतान	293.78
	6 विनियोग	सार्वजनिक ऋण 1, 20, 23, 29 और 36	
2011–12	24 अनुदान	1, 2, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 34, 40, 43, 45, 47, 50, 53, 55, 66, 80, 81 और 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012–13	2 अनुदान	40 और 45	0.96
	2 विनियोग	6 और 55	
2013–14	3 अनुदान	06, 12 और 60	178.96
	3 विनियोग	06, 14 और 27	
2014–15	4 अनुदान	06, 19, 33 और 80	833.54
	2 विनियोग	06 और सार्वजनिक ऋण	
2015–16	3 अनुदान	6, 12 और 50	98.24
	2 विनियोग	41 और ब्याज भुगतान	
2016–17	2 अनुदान	06 और 50	0.92
	3 विनियोग	06, 55 ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	
<b>योग</b>			<b>3,257.55</b>

(झोल: विनियोग लेखे 2000–01 से 2016–17)

**परिशिष्ट 2.2**  
 (संदर्भ: कंडिका-2.2.3, पृष्ठ 33)  
**योजनाएं जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक अतिरेक व्यय हुए**

(₹ करोड़ में)

संक्र.	विभाग	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	अतिरेक	
1	वित्त	06-2071-01-105-2514-परिवार पेंशन	700.00	710.05	10.05	
2		06-2071-01-115-5438-अवकाश नगदीकरण	150.00	176.93	26.93	
3		06-2071-01-117-6801-राज्य शासन का अंशदान	370.00	393.57	23.57	
4	राजस्व	08-2029-797-6754 अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण	125.40	151.78	26.38	
5	वन	10-2406-01-204-5641-वन प्रबंधन समितियाँ	8.25	22.28	14.03	
6	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-03-103-0101-7330- मितानिन कल्याण निधि	41.57	67.60	26.03	
7		19-2210-03-198-0101-620-उप-स्वास्थ्य केन्द्र	64.27	79.31	15.05	
8	आवास और पर्यावरण	21-4217-01-051-1201-7334-जी.इ.एफ. सहायित एस.यू.टी.पी. योजना	4.27	14.70	10.43	
9	लोक निर्माण	24-3054-03-337-2227-नवीनीकरण	30.00	60.43	30.43	
10		24-5054-04-337-0101-2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	80.00	96.38	16.38	
11	स्कूल शिक्षा	27-2202-01-101-0101-3491-माध्यमिक शालाये—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	442.63	467.02	24.40	
12		27-2202-02-109-0101-578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	394.16	435.58	41.42	
13	पंचायत और ग्रामीण विकास	30-2215-02-107-0701-7610-स्वच्छ भारत अभियान	581.36	624.23	42.87	
14		30-2505-60-196-0701-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	642.50	780.07	137.57	
15	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	39-2408-01-101-0701-7872-पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन	29.35	42.03	12.68	
16	स्कूल शिक्षा	41-2202-02-109-0102-5216-हाई स्कूल	95.23	119.34	24.10	
17	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	41-2210-03-197-0102-5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	66.27	77.35	11.08	
18		41-2210-03-198-0102-620-उप-स्वास्थ्य केन्द्र	36.96	56.41	19.45	
19	पंचायत और ग्रामीण विकास	41-2505-60-196-0702-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	488.30	645.49	157.19	
20		41-4202-01-201-0102-9005-इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य मरम्मत	0.00	50.00	50.00	
21	जल संसाधन	45-4702-101-0101-3803- लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं	118.00	144.58	26.58	
22	राजस्व	58-2245-80-800-747-ओला पीडितों को राहत	10.00	21.71	11.71	
23		58-2245-80-800-7729-झूबने से, खदान खिसकने से, रसोई गैस फटने से, बिजली गिरने से मृत्यु होने पर राहत	16.80	43.66	26.86	
24		58-2245-80-800-96-अग्नि पीडितों को राहत	11.38	24.32	12.94	
25	पंचायत और ग्रामीण विकास	64-2505-60-196-0703-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	154.20	165.26	11.06	
26	लोक निर्माण	64-5054-05-337-0103-7818-ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग प्रोक्यूर्मेंट एवं कंस्ट्रक्शन)	42.00	82.00	40.00	
27	शहरी प्रशासन और विकास	69-2217-80-191-0701-6808-लघु एवं मध्यम नगरों की अधोसंरचना विकास योजना	1.00	18.30	17.30	
28	जल संसाधन	75-4700-07-800-0311-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)	20.00	55.00	35.00	
29		75-4701-12-800-0311-5188- मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)	7.00	30.97	23.97	
30		75-4702-101-0311-9469-नाबाड़ से ऋण सहायता के अंतर्गत	39.00	65.99	26.99	
31	वित्त	1-2049-01-101-7895-7.47 % छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028	0.00	74.70	74.70	
32		1-2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधि पर व्याज	335.83	408.04	72.21	
33		2-6004-02-101-3052-कर्ज	67.54	78.35	10.81	
योग				<b>5173.27</b>	<b>6283.43</b>	
(स्रोत: विनियोग तेब्रे 2017-18)				1110.16		

**परिशिष्ट 2.3**

(संदर्भ: कंडिका—2.2.4.1, पृष्ठ 34)

अनुदान स्तर पर प्रत्येक प्रावधान में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मांग संख्या	मांग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	बचत का प्रतिशत
<b>अ—राजस्व दत्तमत</b>					
1	3	पुलिस	4014.45	809.52	20.17
2	6	वित्त विभाग	5349.62	1330.86	24.88
3	7	वणिज्यिक कर विभाग	419.43	110.57	26.36
4	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	1027.09	203.01	19.77
5	10	वन	1002.94	164.60	16.41
6	12	उर्जा विभाग	1627.48	292.07	17.95
7	13	कृषि	2319.91	387.06	16.68
8	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1885.66	218.18	11.57
9	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	1135.37	322.15	28.37
10	27	स्कूल शिक्षा	2894.41	257.88	8.91
11	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3861.04	532.91	13.80
12	33	आदिम जाति कल्याण	1890.25	316.32	16.73
13	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1870.01	464.58	24.84
14	41	आदिवासी क्षेत्र उप—योजना	13206.66	2429.12	18.39
15	44	उच्च शिक्षा	682.55	114.60	16.79
16	55	महिला एवं बाल कल्याण	930.17	261.18	28.08
17	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	1266.73	225.79	17.82
18	64	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	4503.55	733.50	16.29
19	67	लोक निर्माण कार्य — भवन	619.68	158.72	25.61
20	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग — नगरीय कल्याण	734.09	121.40	16.54
21	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	591.72	160.36	27.10
22	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3829.59	313.37	8.18
23	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1999.13	106.34	5.32
24	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1915.35	321.79	16.80
<b>योग — अ</b>			<b>5,9576.88</b>	<b>10,355.88</b>	

1	2	3	4	5	6
<b>ब— पूंजीगत दत्तमत</b>					
25	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	349.05	111.23	31.87
26	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	647.74	353.65	54.60
27	23	जल संसाधन विभाग	474.15	119.15	25.13
28	24	लोक निर्माण कार्य — सड़कें और पुल	2304.10	808.61	35.09
29	25	खनिज साधन विभाग	866.56	455.69	52.59
30	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	789.17	258.53	32.76
31	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	3051.89	962.95	31.55
32	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	1558.89	926.34	59.42
33	45	लघु सिंचाई कार्य	476.50	185.82	39.00
34	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1179.32	485.10	41.13
35	67	लोक निर्माण कार्य — भवन	598.45	263.46	44.02
36	68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	257.14	141.51	55.03
37	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	699.91	183.79	26.26
38	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	900.00	234.87	26.10
39	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	508.31	146.10	28.74
<b>योग — ब</b>			<b>14,661.18</b>	<b>5,636.80</b>	

**स— राजस्व भारित**

40	CH-1	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	3,457.80	165.47	4.79
<b>योग — स</b>			<b>3457.80</b>	<b>165.47</b>	

**द— पूंजीगत भारित**

41	CH-2	लोक ऋण	1917.38	917.50	47.85
<b>योग — द</b>			<b>1917.38</b>	<b>917.50</b>	
<b>कुल योग</b>			<b>79,613.24</b>	<b>17,075.65</b>	

(झोल: विनियोग लेखे 2017–18)

**परिशिष्ट 2.4**

(संदर्भ: कंडिका—2.2.4.2, पृष्ठ 34)

विनियोगों के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

संख्या	विभाग का नाम	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	गृह	03–2055–104–4492–सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1171.62	983.04	188.58	16.10
2		03–2055–109–4491–सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1929.28	1,663.76	265.52	13.76
3		03–2055–115–0600–7918–नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता	230.00	40.00	190.00	82.61
4	वित्त	06–2071–01–101–2413–निवृत्ति वेतन भोगियों को देय	3450.00	2,190.18	1,259.82	36.52
5	राजस्व	08–2029–103–0701–7635–राष्ट्रीय भू-अभिलेख का आधुनिकीकरण (NLRMP)	123.12	0.00	123.12	100.00
6	ऊर्जा	12–2801–80–101–0101–7305– 5 एच.पी. के पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान	1,114.18	849.67	264.51	23.74
7	आवास एवं पर्यावरण	21–4217–01–051–0101–5371–अटल नगर विकास प्राधिकरण	366.00	80.50	285.50	78.01
8	लोक निर्माण	24–3054–03–797–8716–केन्द्रीय सड़क निधि	350.00	102.55	247.45	70.70
9		24–5054–03–101–0101–3775–रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	201.00	83.64	117.36	58.39
10		24–5054–03–337–0520–8716–केन्द्रीय सड़क निधि	350.00	198.59	151.41	43.26
11		24–5054–04–337–0101–1513–जिले की मुख्य सड़कों का निर्माण	425.00	310.31	114.69	26.99
12		24–5054–05–337–0101–7818–ई.पी.सी. (ईंजीनियरिंग प्रेक्षणोरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)	650.00	325.00	325.00	50.00
13	खनिज संसाधन	25–4853–01–004–0420–7794–परिवहन नेटवर्क (रेल मार्ग)	220.36	87.20	133.16	60.43
14		25–4853–01–004–0420–7796–छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम संबंधी कार्य/क्रियाकलाप	200.00	20.16	179.84	89.92
15		25–6853–01–190–0420–7796– छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम संबंधी कार्य/क्रियाकलाप	101.23	0.00	101.23	100.00
16	पंचायत और ग्रामीण विकास	30–2216–03–105–0701–7807–प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1820.50	1305.70	514.80	28.28
17		30–5054–04–337–0701–4855– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	400.00	288.41	111.59	27.90
18	स्कूल शिक्षा	33–2202–01–101–2772–प्राथमिकी शालाएं	520.49	402.61	117.88	22.65
19		33–2202–02–109–3492– माध्यमिक शालाएं	812.50	678.71	133.79	16.47

1	2	3	4	5	6	7
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	39—2408—01—102—0101—6839— मुख्यमंत्री खाद्यान्व सहायता योजना	1200.00	819.06	380.94	31.75
21	पंचायत और ग्रामीण विकास	41—2215—02—107—0702—7610—स्वच्छ भारत अभियान	380.00	259.46	120.54	31.72
22		41—2216—03—105—0702—7807— प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1575.58	1313.60	261.98	16.63
23	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	41—2408—01—102—0102—6839—मुख्यमंत्री खाद्यान्व सहायता योजना	1440.00	982.87	457.13	31.75
24	उर्जा	41—2801—06—101—0102—7305— 5 एच.पी. के पम्पों की निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान	727.68	555.07	172.61	23.72
25	जल संसाधन	41—4702—102—0102—7422—ऑद्योगिक जल संरचना निर्माण	160.00	43.90	116.10	72.56
26	लोक निर्माण	42—5054—03—101—0102—4149—वृहद पुलों का निर्माण	226.00	121.21	104.79	46.37
27		42—5054—04—337—0102—3539—मुख्य जिला सड़के	294.00	133.12	160.88	54.72
28		42—5054—04—337—0702—7842—आर.आर.पी. फेस-II	546.60	143.30	403.30	73.78
29	राजस्व	58—2245—01—101—7710—फसल क्षति हेतु सहायता	691.00	566.33	124.67	18.04
30	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	64—2408—01—102—0103—6839— मुख्यमंत्री खाद्यान्व सहायता योजना	360.00	245.72	114.28	31.74
31	लोक निर्माण	64—5054—04—337—0103—9002—अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	250.00	105.28	144.72	57.89
32		76—5054—03—337—1201—7433—छत्सीगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस-II	450.00	343.85	106.15	23.59
33	शहरी प्रशासन और विकास	80—2515—198—7675—चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1,022.18	905.81	116.37	11.38
34	वित्त	CH1—2049—01—101—2199—नया बाजार ऋण	150.00	0.00	150.00	100.00
35		CH2—6003—110—637—उपाय तथा साधन आग्रिम	660.00	0.00	660.00	100.00
36		CH2—6003—110—779—कमियों की पूर्ति के लिए	264.51	0.00	264.51	100.00
योग			24,832.83	16,148.61	8,684.22	

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

**परिशिष्ट 2.5**

(संदर्भ: कंडिका-2.2.4.2, पृष्ठ 34)

बिना अनुदानों/विनियोगों की सीमा के योजनाओं के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत

(₹ करोड़ में)

संक्र.	योजना कोड	विभाग	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6	7
1	637	वित्त	उपाय एवं साधन अग्रिम	660.00	0.00	660.00
2	779		कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	264.51	0.00	264.51
3	798	उच्च शिक्षा	कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	566.44	451.00	115.44
4	1473	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	जिला चिकित्सालय	351.14	208.40	142.74
5	1513	लोक निर्माण	जिले की मुख्य सड़कों का निर्माण	425.00	310.31	114.69
6	2199	वित्त	नया बाजार ऋण	150.00	0.00	150.00
7	2413		निवृत्ति वेतन भोगियों की देय	3450.00	2190.18	1259.82
8	2772	स्कूल शिक्षा	प्राथमिक शालाएं	522.66	404.56	118.10
9	2898	जल संसाधन	बांध तथा संलग्न कार्य	325.80	187.09	138.71
10	3491	स्कूल शिक्षा	माध्यमिक शालाएं—मूलभूत च्यूनतम सेवाओं के लिए	886.85	777.15	109.69
11	3492		मध्यमिक शालाएं	813.91	680.01	133.89
12	3539	लोक निर्माण	मुख्य जिला सड़कें	294.00	133.12	160.88
13	3775		रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	201.00	83.64	117.36
14	4149		वृहद पूलों का निर्माण	267.92	146.27	121.65
15	4396	स्कूल शिक्षा	माध्यमिक शालाएं—मूलभूत च्यूनतम सेवाओं के लिए	664.35	535.58	128.77
16	4491	गृह	सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1960.06	1688.41	271.66
17	4492		सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1182.47	992.88	189.59
18	4855	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1130.79	795.48	335.31
19	5059	जल संसाधन	एनिकट/स्टापडेम का निर्माण	330.00	132.18	197.82
20	5371	आवास एवं पर्यावरण	अटल नगर विकास प्राधिकरण	574.88	269.68	305.20
21	5396	स्कूल शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	1500.00	1379.09	120.91
22	5516	जल संसाधन	वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)	598.80	382.64	216.16
23	6590	लोक कार्य	नाबाड़ ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	230.00	123.37	106.63
24	6839	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	3000.00	2047.65	952.35
25	7242	कृषि, मछली पालन, पशुपालन	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	255.47	124.59	130.88

1	2	3	4	5	6	7
26	7247	स्कूल शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	721.90	515.92	205.98
27	7305	ऊर्जा	5 एच.पी. के कृषि पर्मों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु	2171.66	1668.66	503.00
28	7422	जल संसाधन	औद्योगिक जल संरचना निर्माण	345.00	99.82	245.18
29	7433	लोक निर्माण	छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फैस- 2	900.00	665.13	234.87
30	7475	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	332.59	208.34	124.25
31	7610		स्वच्छ भारत अभियान	1441.00	1255.11	185.89
32	7626	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	292.09	191.92	100.17
33	7635	राजस्व	राष्ट्रीय भू-अभिलेख का आधुनिकीकरण (एन.एल.आर.एम.पी.)	123.12	0.00	123.12
34	7675	शहरी प्रशासन और विकास	चौहदवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1336.45	1149.61	186.84
35	7710	राजस्व	फसल क्षति हेतु सहायता	691.08	566.33	124.75
36	7794	खनिज संसाधन	परिवहन नेटवर्क (रेल मार्ग)	220.36	87.20	133.15
37	7796		छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम संबंधी कार्य / क्रियाकलाप	301.23	20.16	281.07
38	7807	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	4025.00	3229.78	795.22
39	7818	लोक निर्माण	ई.पी.सी. (इंजिनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)	742.00	457.00	285.00
40	7842		आर.आर.पी. फैस- 2	590.00	186.70	403.30
41	7853	जल संसाधन	नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	131.00	0.00	131.00
42	7861	इलेक्ट्रनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	संचार क्रांति योजना	200.00	1.78	198.22
43	7918	गृह	नक्सल प्रभावित जिलों की सहायता	230.00	40.00	190.00
44	8403	स्कूल शिक्षा	शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	3539.66	317.00	365.66
45	8716	लोक निर्माण	केन्द्रीय सड़क निधि	725.05	415.45	309.60
46	9002		अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	250.00	105.28	144.72
47	9044	महिला एवं बाल कल्याण	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	522.91	386.21	136.69
योग				40,438.15	28,467.68	11,970.47

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

**परिशिष्ट 2.6**

(संदर्भ: कंडिका-2.2.5: पृष्ठ 34)

वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान ₹ 20 करोड़ से अधिक तथा ₹ 10 प्रतिशत से अधिक सतत बचत

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत राशि (₹ करोड़ में)				
			अनुदान से प्रतिशत (तिरछे अक्षरों में)				
			2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>राजस्व दत्तमत</b>							
1	8	भूमि का पुनर्वसन और जिला प्रशासन	126.00 <b>22.20</b>	176.70 <b>32.46</b>	113.08 <b>16.89</b>	195.65 <b>19.47</b>	203.01 <b>19.77</b>
2	13	कृषि	173.70 <b>23.94</b>	204.27 <b>10.40</b>	265.22 <b>25.98</b>	194.48 <b>15.35</b>	387.06 <b>16.68</b>
3	14	पशुपालन	70.54 <b>23.99</b>	61.21 <b>19.16</b>	51.25 <b>14.60</b>	113.26 <b>27.01</b>	74.58 <b>17.15</b>
4	17	सहयोग	31.85 <b>18.62</b>	36.99 <b>32.19</b>	44.82 <b>31.27</b>	41.23 <b>18.08</b>	26.28 <b>20.49</b>
5	18	श्रम	33.64 <b>34.28</b>	60.55 <b>52.68</b>	43.61 <b>37.06</b>	51.93 <b>39.38</b>	41.98 <b>30.80</b>
6	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	89.30 <b>11.14</b>	241.13 <b>19.47</b>	189.76 <b>14.44</b>	288.37 <b>16.89</b>	218.18 <b>11.57</b>
7	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	54.68 <b>16.89</b>	90.03 <b>19.21</b>	50.24 <b>12.80</b>	83.39 <b>23.20</b>	91.53 <b>24.40</b>
8	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	43.07 <b>44.71</b>	44.96 <b>40.09</b>	114.49 <b>73.25</b>	88.78 <b>50.14</b>	75.86 <b>56.24</b>
9	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	128.26 <b>11.88</b>	222.76 <b>29.78</b>	314.73 <b>29.46</b>	354.80 <b>38.08</b>	322.15 <b>28.37</b>
10	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	70.29 <b>26.35</b>	86.34 <b>28.74</b>	62.26 <b>22.71</b>	102.42 <b>32.39</b>	81.20 <b>24.99</b>
11	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	211.47 <b>27.17</b>	748.51 <b>33.30</b>	1133.54 <b>46.97</b>	669.16 <b>19.61</b>	532.91 <b>13.80</b>
12	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	1072.97 <b>22.82</b>	2393.70 <b>28.82</b>	3146.19 <b>32.93</b>	2807.58 <b>27.47</b>	2429.12 <b>18.39</b>
13	43	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	40.50 <b>67.48</b>	43.23 <b>74.27</b>	73.79 <b>65.67</b>	73.95 <b>77.36</b>	52.88 <b>74.64</b>
14	44	उच्च शिक्षा	140.49 <b>26.48</b>	186.97 <b>32.90</b>	132.05 <b>22.20</b>	222.87 <b>33.63</b>	114.60 <b>16.79</b>
15	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	60.76 <b>32.47</b>	108.35 <b>37.88</b>	335.89 <b>56.73</b>	175.41 <b>34.07</b>	89.79 <b>23.29</b>
16	55	महिला एवं बाल कल्याण	115.87 <b>17.78</b>	229.20 <b>28.01</b>	286.11 <b>31.51</b>	318.72 <b>33.05</b>	261.18 <b>28.08</b>
17	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	398.96 <b>26.98</b>	932.09 <b>30.94</b>	1148.10 <b>34.79</b>	794.37 <b>22.65</b>	733.50 <b>16.29</b>
18	69	शहरी प्रशासन और विकास	347.11 <b>64.06</b>	454.03 <b>70.09</b>	345.55 <b>71.31</b>	417.45 <b>36.40</b>	121.40 <b>16.54</b>
19	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	84.63 <b>25.94</b>	68.11 <b>18.85</b>	66.00 <b>16.96</b>	145.59 <b>26.56</b>	160.36 <b>27.10</b>
20	82	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	314.77 <b>19.24</b>	364.17 <b>16.95</b>	257.04 <b>18.41</b>	418.14 <b>21.98</b>	321.79 <b>16.80</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>राजस्व भारित</b>							
21	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	44.72 <b>87.43</b>	20.42 <b>34.90</b>	72.94 <b>39.84</b>	43.40 <b>18.29</b>	78.31 <b>26.23</b>
22	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	229.56 <b>81.17</b>	209.40 <b>60.34</b>	616.45 <b>66.96</b>	178.88 <b>27.22</b>	353.65 <b>54.60</b>
23	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	626.73 <b>31.01</b>	808.73 <b>41.50</b>	686.97 <b>29.19</b>	575.76 <b>20.64</b>	962.95 <b>31.55</b>
24	42	आदिवासी क्षेत्र उप योजना सङ्क और पुलों से संबंधित कार्य	185.03 <b>40.78</b>	81.59 <b>19.48</b>	372.00 <b>47.59</b>	574.36 <b>49.68</b>	926.34 <b>59.42</b>
25	45	लघु सिंचाई कार्य	125.02 <b>19.84</b>	95.39 <b>21.14</b>	96.52 <b>19.83</b>	94.59 <b>18.50</b>	185.82 <b>39.00</b>
26	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	37.21 <b>89.66</b>	36.47 <b>53.16</b>	61.28 <b>64.54</b>	67.82 <b>67.27</b>	23.98 <b>61.28</b>
27	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	296.27 <b>30.63</b>	218.11 <b>25.37</b>	470.44 <b>40.62</b>	492.52 <b>37.18</b>	485.10 <b>41.13</b>
28	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	124.31 <b>31.30</b>	56.81 <b>15.21</b>	125.66 <b>20.65</b>	251.27 <b>39.03</b>	263.46 <b>44.02</b>
29	68	आदिवासी क्षेत्र उप योजना सङ्क और पुलों से संबंधित कार्य	67.02 <b>36.29</b>	46.83 <b>20.21</b>	20.87 <b>10.15</b>	36.35 <b>15.17</b>	141.51 <b>55.03</b>

(झोत विनियोग लेखे 2013–14 से 2017–18)

## परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: कंडिका-2.2.6: पृष्ठ 35)

योजनाएँ जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विभाग	लेखे का शीर्ष	कुल प्रावधान
1	2	3	4
1	राजस्व	08-2029-103-0701-7635-राष्ट्रीय भू-अभिलेख का आधुनिकीकरण (एन.एल.आर.एम.पी.)	123.12
2	कृषि	13-2401-119-0311-7854- नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना	11.50
3	जल संसाधन	13-2401-800-0311-7853-नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	65.50
4	वित्त	19-2210-03-110-0101-7330-मितानिन कल्याण निधि	30.00
5	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-06-101-0801-6729-एड्स कल्याण निधि	20.00
6		19-4210-01-110-0701-7327-मानसिक चिकित्सालय	18.16
7	आवास एवं पर्यावरण विभाग	21-2216-02-190-0101-7444-विकास नगर योजना	20.00
8		21-2216-02-190-0101-7670-मुख्यमंत्री आवासीय योजना	10.00
9		21-4216-01-106-0101-7552-कर्मचारियों के लिए आवास भवनों का निर्माण	17.25
10		21-6217-01-800-0101-7669-रायपुर में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	70.00
11	लोक निर्माण	24-5054-04-337-0311-7813-ई.पी.सी. (नाबार्ड) के माध्यम से सड़क निर्माण	25.00
12		25-4853-01-004-0420-7795-परिवहन नेटवर्क (विमानन)	30.00
13	खनिज संसाधन	25-6853-01-190-0420-7796-छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम संबंधी कार्य / क्रियाकलाप	101.23
14	लोक निर्माण	29-4059-01-051-0101-2450-न्याय प्रशासन	22.00
15	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	30-2235-60-196-0101-8968-अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना	12.70
16		30-2505-60-101-0101-7877-मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना	10.00
17		30-4515-102-0801-7645-ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई	20.00
18		30-5054-04-337-0101-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	32.50
19	परिवहन	36-5055-050-0801-7750-झायविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान	14.40
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	39-2408-01-102-0701-7801- मूल्य स्थिरिकरण निधि योजना	13.50
21	जल संसाधन	41-2401-800-0312-7853-नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	49.78
22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	41-2408-01-102-0702-7801-मूल्य स्थिरिकरण निधि योजना	10.26
23	वाणिज्य और उद्योग	41-2852-80-102-0102-5385-नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना	19.67
24	स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति जन जाति विकास	41-4202-01-202-0702-8979-एकीकृत अम्बेला योजना	12.00
25	चिकित्सा शिक्षा	41-4210-01-110-0702-7851-टर्शटी केंसर संस्थान	10.00
26	कृषिए जल संसाधन	41-4702-101-0702-7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	15.00
27	खनिज संसाधन	41-4853-01-004-0420-7795-परिवहन नेटवर्क (विमानन)	27.67

1	2	3	4
28	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	41-5054-04-337-0102-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	32.50
29	लोक निर्माण	42-5054-04-337-0312-7813-ई.पी.ओ. (नाबाड़) के माध्यम से सड़क निर्माण	19.00
30	खेल एवं युवा कल्याण	43-2204-104-0101-7473-37 वें राष्ट्रीय खेल	41.00
31	कृषि, जल संसाधन	45-4702-101-0701-7684- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	15.00
32	लोक निर्माण	45-5054-05-337-0101-7820-सड़क एवं पुल निर्माण	20.00
33	राजस्व	58-2245-01-800-1467-जिला एवं अन्य सड़कें	10.00
34		58-2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना	28.90
35		58-2245-05-101-4849-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण	30.00
36	कृषि	64-2401-800-0313-7853- नाबाड़ पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	15.72
37	लोक कार्य	68-4202-01-202-0102-3490-माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	15.85
38	विद्युत और सूचना प्रौद्योगिकी	71-3275-800-0101-7822-यूनीफाईड डेटा बेस परियोजना	10.00
39	जल संसाधन	75-4700-09-800-0311-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)	45.00
40		75-4700-10-800-0311-5516- वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)	18.00
41		75-4700-10-800-0313-5516- वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)	37.00
42		75-4700-11-800-0311-5516- वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)	40.00
43		75-4700-11-800-0313-5516- वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)	60.00
44	चिकित्सा शिक्षा	79-2210-01-110-0701-7637-राज्य कैंसर संस्थान	10.00
45	शहरी प्रशासन एवं विकास	81-2217-05-191-0101-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ	12.50
46		81-4215-01-101-0101-7845-नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना	45.00
47		81-6217-60-191-0101-7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ	46.00
48	महिला एवं बाल विकास विभाग	82-2236-02-101-0102-8891-फुलवारी योजना	10.00
49	वित्त	CH1-2049-01-101-2199-नया बाजार ऋण	150.00
50		CH1-2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशागियों और केंश बैलेन्स की कमी की पूर्ति हेतु लिये गये अग्रिमों पर ब्याज	10.80
51		CH1-2049-60-701-4198- शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	53.00
52		CH2-6003-110-637-उपाय तथा साधन अग्रिम	660.00
53		CH2-6003-110-779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	264.51
योग			2,576.02

(झोत: विनियोग लेखे 2017-18)

**परिशिष्ट 2.8**

(संदर्भ: कंडिका—2.2.4.7 (अ) पृष्ठ 35)

प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान, जो अनुदान के अंतर्गत अनवाश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

संख्या	मांग संख्या	विवरण	वास्तविक प्रावधान	वास्तविक व्यय	वास्तविक प्रावधान के साथ बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7
<b>अ— राजस्व दत्तमत</b>						
1	1	सामान्य प्रशासन	191.82	164.79	27.03	9.97
2	3	पुलिस	3646.86	3204.94	441.92	367.59
3	4	अन्य गृह विभाग	33.41	29.28	4.13	10.04
4	6	वित्त विभाग	5344.41	4018.76	1325.65	5.21
5	7	वाणिज्यिक ऋण विभाग	407.39	308.85	98.54	12.04
6	8	भू—राजस्व और जिला प्रशासन	976.74	824.09	152.65	50.35
7	12	ऊर्जा विभाग	1385.85	1335.41	50.44	241.63
8	14	पशुपालन विभाग	433.28	360.30	72.98	1.60
9	15	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	535.33	519.40	15.93	36.89
10	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1776.52	1667.48	109.04	109.14
11	21	आवास और पर्यावरण विभाग	130.10	59.02	71.08	4.78
12	26	सांस्कृतिक विभाग	40.96	34.36	6.60	5.57
13	27	विद्यालय शिक्षा	2878.85	2636.54	242.31	15.56
14	28	राज्य विधायिका	62.13	38.67	23.46	3.25
15	34	सामाजिक कल्याण	85.59	77.62	7.97	9.04
16	37	पर्यटन	32.72	19.11	13.61	1.52
17	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1787.37	1405.43	381.94	82.64
18	41	आदिवासी क्षेत्र उप—योजना	11563.95	10777.54	786.41	1642.71
19	47	तकनीकी शिक्षा और मानव—शक्ति योजना विभाग	378.23	295.73	82.50	7.29
20	55	महिला एवं बाल विकास	914.17	668.98	245.19	106.00
21	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	226.75	176.29	50.46	7.20

1	2	3	4	5	6	7
22	69	शहरी प्रशासन और विकास विभाग शहरी कल्याण	730.09	612.69	117.40	4.00
23	71	सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	100.74	61.77	38.97	2.79
24	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	577.45	431.36	146.09	14.27
25	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3734.63	3516.22	218.41	94.96
26	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1894.79	1593.56	301.23	20.56
<b>योग—अ</b>			<b>39870.13</b>	<b>34838.19</b>	<b>5031.94</b>	<b>2866.60</b>
<b>ब— पूँजीगत दत्तमत</b>						
27	3	पुलिस	58.68	47.63	11.05	5.61
28	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	83.26	42.31	40.95	6.00
29	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	256.93	220.19	36.74	41.57
30	23	जल संसाधन विभाग	473.15	354.99	118.16	1.00
31	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	2299.80	1495.49	804.31	4.30
32	29	न्याय और चुनाव प्रशासन	35.98	12.05	23.93	1.61
33	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	739.17	530.64	208.53	50.00
34	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	2794.57	2088.94	705.63	257.32
35	42	जनजातीय क्षेत्रों उप योजना सड़क और पुलों से संबंधित लोक निर्माण कार्य	1547.39	632.55	914.84	11.50
36	55	महिला एवं बाल विकास	50.72	44.96	5.76	5.93
37	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1107.55	684.22	423.33	71.77
38	67	लोक निर्माण कार्य— सड़क	540.17	334.99	205.18	58.28
39	81	वित्तीय सहायता शहरी निकाय	402.00	362.21	39.79	106.31
<b>योग—ब</b>			<b>10389.37</b>	<b>6851.17</b>	<b>3538.20</b>	<b>621.20</b>
<b>योग—(अ+ब)</b>			<b>50259.50</b>	<b>41689.36</b>	<b>8570.14</b>	<b>3487.80</b>

(झोत विनियोग लेखे 2017–18)

**परिशिष्ट 2.9**

(संदर्भ: कंडिका-2.2.7 (ब) पृष्ठ 35)  
अनुदानों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मांग संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	मुल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	वचत
<b>अ—राजस्व दत्तमत</b>							
1	11	वाणिज्यक और उद्योग विभाग	216.66	48.9	265.56	226.82	38.74
3	13	कृषि	1264.39	1055.52	2319.91	1932.84	387.07
4	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3290.91	570.13	3861.04	3328.13	532.91
5	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत शहरी निकायों की वित्तीय सहायता	21.01	9.54	30.55	27.27	3.28
6	58	प्राकृतिक आपदाओं और सुरक्षा के कारण राहत	591.73	675	1266.73	1040.95	225.78
7	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	3764.47	739.08	4503.55	3770.05	733.5
9	81	वित्तीय सहायता शहरी निकाय	1693.45	305.68	1999.13	1892.79	106.34
<b>योग—अ</b>			<b>10842.62</b>	<b>3403.85</b>	<b>14246.47</b>	<b>12218.85</b>	<b>2027.62</b>
<b>ब— पूँजीगत दत्तमत</b>							
2	12	उर्जा विभाग	327.15	192.18	519.33	496.31	23.02
8	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	121.14	113	234.14	206.91	27.23
<b>योग—ब</b>			<b>448.29</b>	<b>305.18</b>	<b>753.47</b>	<b>703.22</b>	<b>50.25</b>
<b>स— राजस्व दत्तमत</b>							
10	CH-1	ब्याज भुगतान और सर्विसिंग	3222.68	235.12	3457.8	3292.33	165.47
<b>योग—स</b>			<b>3222.68</b>	<b>235.12</b>	<b>3457.8</b>	<b>3292.33</b>	<b>165.47</b>
<b>कुल योग (अ+ब+स)</b>			<b>14513.59</b>	<b>3944.15</b>	<b>18457.74</b>	<b>16214.4</b>	<b>2243.34</b>

(झोत: विनियोग लेखे 2017-18)

**परिशिष्ट 2.10**  
 (संदर्भ: कांडिका-2.2.8 (अ) पृष्ठ 35)  
**उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावधानक अनुपूरक प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विभाग	लेखा शीर्ष	मुल प्रावधान	मुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	वचत
1	2	3	4	5	6	7
1	गृह	03-2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1806.68	1664.16	142.52	123.00
2	गृह	04-2013-800-9261-अन्य व्यय	2.10	1.64	0.46	1.19
3	वाणिज्यिक कर	07-2039-001-122-अधिक्षण	32.83	31.21	1.62	1.30
4	वाणिज्यिक कर	07-2040-001-3569-मुख्यालय स्थापना व्यय	15.99	14.88	1.11	3.69
5	पशुपालन	14-2403-101-0701-5620-पशुरोग नियंत्रण	12.10	9.87	2.23	1.00
6	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-01-001-2283-निदेशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवाएँ)	37.26	22.59	14.67	4.00
7	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-01-196-0101-1473-जिला चिकित्सालय	156.43	132.38	24.05	37.61
8	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-4210-01-196-0101-1473- जिला चिकित्सालय	21.00	12.96	8.04	6.00
9	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	20-4215-01-102-0701-7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	80.00	55.48	24.52	7.57
10	जल संसाधन	23-4711-01-103-0101-6757-बाढ़ नियंत्रण योजनाएँ	20.00	3.59	16.41	1.00
11	लोक निर्माण	24-505-03-101-0101-3775-रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	200.00	83.64	116.36	1.00
12	लोक निर्माण	24-5054-03-101-0101-4151-वृहद पुलों का निर्माण	170.00	165.88	4.12	1.80
13	संस्कृति	26-2205-102-0101-5753-समारोह हेतु अनुदान	15.00	14.89	0.11	5.07
14	विधायी कार्य	28-2011-02-101-4007-विधान सभा	34.87	25.28	9.59	2.90
15	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-2216-03-105-0701-7807-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1420.50	1305.70	114.80	400.00
16	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-5054-04-337-0311-8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	38.00	32.82	5.18	25.00
17	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	41-2202-02-109-1002-5480 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275(1))	42.89	19.40	23.49	1.70
18	चिकित्सा शिक्षा	41-2210-01-110-0102-8940-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय सरगुजा	20.31	19.84	0.47	521
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	41-2210-01-196-0102-1473-जिला चिकित्सालय	66.34	52.67	13.67	24.17
20	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	41-4210-01-196-0102-1473- जिला चिकित्सालय	38.08	10.39	27.69	1.00
21	सार्वजनिक स्वास्थ्य यांत्रिकी	41-4215-01-102-0702-7353- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	60.80	49.99	10.81	17.47
22	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	41-4225-02-102-1002-5480-आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275(1))	120.00	112.96	7.04	22.11

वर्ष 2017–18 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7
23	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	41–5054–04–337–0312–8650–मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	28.88	16.39	12.49	19.00
24	लोक निर्माण	42–5053–02–102–0102–4727–हवाई पटिटयों का निर्माण एवं विस्तार	15.60	5.28	10.32	4.50
25	लोक निर्माण	42–5054–03–101–0102–4149–वृहद पुलों का निर्माण	225.00	121.21	103.79	1.00
26	लोक निर्माण	42–5054–04–337–0102–2457–न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	150.00	61.01	88.99	5.00
27	लोक निर्माण	47–2230–02–001–0801–9147–रोजगार कार्यालय	0.50	0.19	0.31	4.16
28	चिकित्सा शिक्षा	64–2210–05–105–0103–6968–चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर	43.30	37.50	5.80	1.49
29	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं	64–4215–01–102–0703–7353–राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	19.20	7.56	11.64	8.52
30	लोक निर्माण	64–5054–03–101–0103–4149–वृहद पुलों का निर्माण	39.92	25.07	14.85	1.00
31	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	64–5054–04–337–0313–8650–मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	9.12	3.02	6.10	6.00
32	लोक निर्माण	67–4059–01–051–0101–3855–लोक निर्माण कार्य–भवन	39.00	28.35	10.65	1.00
33	लोक निर्माण	67–4059–01–051–0701–2450–न्याय प्रशासन	21.91	6.73	15.18	2.00
34	लोक निर्माण	67–4202–01–202–0701–1502–जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था–मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	0.02	0.00	0.02	3.82
35	लोक निर्माण	67–4216–01–106–0701–6222–न्याय प्रशासन के आवासगृह का निर्माण	20.10	4.37	15.73	3.20
36	लोक निर्माण	67–4405–101–0101–3321–मत्स्यालय	0.50	0.00	0.50	1.00
37	शहरी प्रशासन और विकास	69–2217–80–191–0701–7685–रस्मार्ट सिटी	200.00	199.50	0.50	4.00
38	चिकित्सा शिक्षा	79–2210–01–110–1353–चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय रायपुर	76.31	66.62	9.69	1.94
39	चिकित्सा शिक्षा	79–2210–01–110–0101–8938–चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय राजनन्दगांव	22.67	19.54	3.13	1.87
40	चिकित्सा शिक्षा	79–2210–05–105–0101–1352–चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	77.96	61.67	16.29	3.18
41	चिकित्सा शिक्षा	79–2210–05–105–0101–6996–चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़	26.89	21.72	5.17	2.44
42	चिकित्सा शिक्षा	79–2210–05–105–0101–8939–चिकित्सा महाविद्यालय, राजनन्दगांव	35.37	21.86	13.51	3.40
योग			5463.43	4549.81	913.62	772.31

(झोत: विनियोग लेखे 2017–18)

**परिशिष्ट 2.11**  
 (संदर्भ: कंडिका-2.2.8 (ब) पृष्ठ 35)  
**उप-शीर्षों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विभाग	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान की आवश्कता	किया गया अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7
1	सामान्य प्रशासन	01-2013-105-9064-मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान	27.50	28.22	0.72	8.20
2	गृह	03-2055-115-0600-7918-नक्सल जिलों की सहायता	0.00	40.00	40.00	230.00
3	गृह	03-2070-107-492-आव्हान पर होने वाला व्यय	114.78	123.71	8.93	14.00
4	गृह	03-4055-207-4491-सामन्य व्यय (जिला स्थापना)	24.17	24.25	0.08	5.61
5	गृह	04-3454-01-800-7586-2011 का जनगणना कार्य	0.01	4.71	4.70	8.00
6	वित्त	06-2885-60-190-4843-अधोसंरचना विकास निगम	6.20	10.00	3.80	5.00
7	वित्त	08-2029-800-0510-7860-अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि	53.00	1014.00	48.00	50.00
8	ऊर्जा	12-2801-80-101-0101-7620-उपभोक्त ओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	89.00	27384	184.84	192.58
9	कृषि	13-2401-102-0101-8972-धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	0.00	1022.68	1022.68	1050.00
10	कृषि	13-2401-119-0701-7874-एन.एम.एस.ए. ने”नल मिं”न ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री	0.00	2.24	2.24	4.17
11	खनिज संसाधन	15-2853-02-800-0103-6299- ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	53.61	80.59	26.98	36.89
12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-06-101-0701-5026- छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता / अनुदान	12.50	21.25	8.75	10.00
13	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20-4215-01-102-0311-5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	41.50	42.95	1.45	5.00
14	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20-6215-01-101-0101-2182- नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं	37.75	63.95	26.20	29.00
15	आवास और पर्यावरण	21-2217-05-001-2020-नगर और ग्राम निवेश	12.62	14.08	1.46	4.78
16	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-2501-06-102-0701-7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	107.50	116.62	9.12	11.27
17	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	39-2408-01-102-0101-8933- शक्कर वितरण योजना	20.00	38.25	18.25	50.00
18	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	41-2202-01-109-0102-7437- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	9.86	13.31	3.45	5.25
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	41-2210-06-101-0702-5026- छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता / अनुदान	15.20	23.05	7.85	9.00
20	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	41-2216-03-105-0702-7807- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1079.58	1313.60	234.02	496.00
21	कृषि	41-2401-102-0102-8972- धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	0.00	775.82	775.82	798.00

वर्ष 2017–18 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7
22	कृषि	41–2401–119–0702–7874– एन.एम.एस.ए. नेशनल मिशन ऑन एग्रोफॉरस्ट्री	0.00	1.21	1.21	3.17
23	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	41–2408–01–102–0102–8933– शक्कर वितरण योजना	15.20	29.07	13.87	38.00
24	ऊर्जा	41–2801–80–101–0102–7620– उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	76.00	168.40	92.40	146.36
25	अनुसूचित जाति एंव जनजाति विकास	41–4225–02–102–0602–7626– विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	150.00	150.02	0.02	22.09
26	ऊर्जा	41–4801–06–800–0102–6758– कृषि पंपों का ऊर्जीकरण	0.00	22.50	22.50	45.30
27	खनिज संसाधन	53–2853–02–800–0103–7611–गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण	3.80	6.08	2.28	3.70
28	महिला एवं बाल विकास	55–2235–02–102–0701–9131–एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	1.00	9.87	8.87	11.00
29	राजस्व	58–2245–01–101–7710–फसल क्षति हेतु सहायता	16.00	566.33	550.33	675.00
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	64–2216–03–105–0703–7807– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	340.92	610.49	269.57	288.00
31	कृषि	64–2401–102–0103–8972–धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	0.00	244.99	244.99	252.00
32	भोजन और नागरिक आपूर्ति	64–2408–01–102–0103–8933–उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	4.80	9.18	4.38	12.00
33	ऊर्जा	64–2801–80–101–0103–7620– श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबंन मिशन	35.00	72.00	37.00	46.22
34	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	64–4515–102–0703–7759– कृषि पंपों का ऊर्जीकरण	480	5.94	1.14	6.00
35	ऊर्जा	64–4801–06–800–0103–6758– कृषि पंपों का ऊर्जीकरण	0.00	9.75	9.75	16.95
36	ऊर्जा	64–4810–101–0410–8965– मुख्यमंत्री माजरा टोला विद्युतीकरण योजना	0.00	2.13	2.13	6.93
37	स्कूल शिक्षा	66–2202–02–109–0801–8050– छात्रवृत्तियां	19.00	24.14	5.14	7.14
38	लोक निर्माण	67–4059–01–051–0101–2407–निर्वाचन	0.18	0.58	0.40	14.00
39	लोक निर्माण	67–4059–01–051–0101–5918– सामान्य प्रशासन विभाग	7.50	22.50	15.00	22.51
40	लोक निर्माण	67–4202–01–202–0701–7673– विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	0.02	0.48	0.46	3.27
41	चिकित्सा शिक्षा	79–4210–03–105–0101–8939– चिकित्सा महाविद्यालय, राजनंदगांव	1.50	100.00	98.50	102.00
42	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	80–2515–198–1101–5848– ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान	200.00	246.81	46.81	50.00
43	खनिज संसाधन	80–2853–02–800–0101–6299– ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	125.81	136.02	10.21	44.96
44	खनिज संसाधन	82–2853–02–800–0102–6299– ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	47.00	58.16	11.16	20.56
योग			2753.31	6630.77	3877.46	4859.91

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017–18)

**परिशिष्ट 2.12**  
 (संदर्भ: कंडिका-2.2.8 (स) पृष्ठ 35)  
**उप-शीर्षों के अंतर्गत अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान**

(₹ करोड़ में)

संक्र.	विभाग	लेखा शीर्ष	मौखिक प्रावधान	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता	किया गया अनुपूरक प्रावधान
1	लोक निर्माण	07-2030-02-101-2456-न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत	5.00	14.75	9.75	7.00	2.75
2	कृषि	13-2402-101-8351-विस्तृत मृदा सर्वेक्षण	3.93	6.50	2.57	1.00	1.57
3	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-2215-02-107-0701-7610-स्वच्छ भारत अभियान	500.00	624.23	124.23	81.36	42.87
4	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-2505-60-196-0701-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	600.00	780.07	180.07	42.50	137.57
5	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	39-2408-01-101-0701-7872-पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन	0.00	42.03	42.03	29.35	12.68
6	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	41-2505-60-196-0702-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	456.00	645.49	189.49	32.30	157.19
7	वाणिज्यक और उद्योग	41-2852-80-102-0102-9068-औद्योगिक इकाइयों को लागत पूँजी अनुदान	12.00	16.00	4.00	2.00	2.00
8	अनुसूचित जाति एंव जनजाति विकास	64-2225-01-102-0703-7629-अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	5.97	12.62	6.65	3.67	2.98
9	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	64-2505-60-196-0703-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	144.00	165.26	21.26	10.20	11.06
योग			1726.90	2306.95	580.05	209.38	370.67

(झोत विनियोग लेखे 2017-18)

**परिशिष्ट 2.13**  
 (संदर्भ: कंडिका-2.2.9: पृष्ठ 36)  
**अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों का पुर्णविनियोजन**  
**(जहाँ आधिक्य/बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक हो)**

₹ करोड़ में

संक्र.	विभाग	योजना का नाम	कुल प्रावधान	पुर्णविनियोजन	व्यय	अंतिम आधिक्य(+) / बचत(-)
1.	गृह	03–2055–104–4492–सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1171.62	−174.17	983.04	−14.41
2.		03–2055–109–4491–सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1930.28	−254.96	1664.16	−11.16
3.	वित्त	06–2071–01–101–2413–निवृत्ति वेतन भोगियों को देय	3450.00	−40.00	2190.18	−1219.82
4.	राजस्व	08–2029–103–1472–जिला खर्च	249.99	−37.98	223.27	−11.26
5.		08–4059–80–051–0510–7860–अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि	210.00	−25.84	156.11	−28.05
6.	लोक निर्माण	24–3054–01–337–134–अनुरक्षण और मरम्मत– साधारण मरम्मत	31.90	−10.00	9.93	−11.97
7.		24–5054–03–101–0101–3775–रेलवे ओहर ब्रिज का निर्माण	201.00	−10.00	83.64	−107.36
8.		24–5054–04–337–0101–1513–जिले की मुख्य सड़कों का निर्माण	425.00	−17.00	310.31	−97.69
9.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	30–2515–102–0101–1208–ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	74.20	−13.78	48.47	−11.95
10.		30–5054–04–337–0311–7475–मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	19500	−9.15	136.76	−49.09
11.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	41–2202–01–101–0102–495–आश्रम और शालाएं	244.10	−42.27	191.25	−10.58
12.		41–4202–01–202–0102–1400–विवेकानंद गुरुकूल उन्नयन योजना	96.00	−20.19	88.52	12.71
13.		41–5054–04–337–0312–7475– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	70.00	−18.08	33.93	−17.99
14.	लोक निर्माण	64–5054–04–337–0103–9002–अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	250.00	−45.00	105.28	−99.72
15.		67–4059–01–051–0101–8040–जेल भवनों का निर्माण	41.74	−2.00	8.79	−30.95
16.		67–4202–03–102–0101–5908– खेल प्रशिक्षण भवन का निर्माण	15.25	−1.00	4.07	−10.18
17.		67–4210–03–105–0101–4220–शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय	76.27	−8.00	34.10	−34.17
18.		68–4210–03–105–0102–4220– शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय	50.00	−2.00	29.71	−18.29
19.	शहरी प्रशासन एवं विकास	69–2217–80–191–0701–6808–लघु एवं मध्यम नगरों की अधोसंरचना विकास	1.00	−1.00	18.30	18.30
20.		69–2217–80–191–0701–7610–स्वच्छ भारत अभियान	120.00	−20.61	85.75	−13.64
21.	खनिज संसाधनों	80–2853–02–800–0101–6299–ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	170.77	−74.83	136.02	40.08
योग			9074.12	−827.86	6541.59	−1704.67

(झोल: विनियोग लेखे 2017–18)

**परिशिष्ट 2.14**  
 (संदर्भ: कंडिका-2.2.10: पृष्ठ 36)  
**वास्तविक बचत से अधिक सर्वपण**

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	विवरण	बचत	अधिक्य	सर्वपण	अधिक्य राशि का समर्पण
<b>अ—राजस्व मत</b>						
1	7	वाणिज्यक कर विभाग	110.57	0	119.36	8.79
2	8	भू—राजस्व और जिला प्रशासन	203.01	0	212.39	9.38
3	12	ऊर्जा विभाग	292.07	0	294.57	2.5
4	14	पशुपालन विभाग	74.58	0	75.66	1.07
5	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	52.81	0	63.66	10.85
6	23	जल संसाधन विभाग	50.25	0	51.01	0.76
7	27	विद्यालय शिक्षा	257.88	0	263.79	5.92
8	33	आदिवासी कल्याण	316.32	0	317.5	1.19
9	44	उच्च शिक्षा	114.6	0	124.59	9.99
10	49	अनुसूचित जाति कल्याण	0	0.53	1.47	1.47
11	50	20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग	0	0.75	0.50	0.50
12	58	प्राकृतिक आपदाओं और कमी का राहत खाता	225.79	0	261.56	35.77
13	80	तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	313.37	0	356.36	42.99
14	82	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के तहत तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	321.79	0	323.10	1.31
योग—अ			2333.04	1.28	2465.52	132.49
<b>ब—पूँजीगत दत्तमत</b>						
15	3	पुलिस	16.66	0	18.07	1.41
16	23	जल संसाधन विभाग	119.15	0	120.15	1.00
17	66	पिछड़े वर्गों का कल्याण	9.10	0	57.40	48.29
योग — ब			144.91	0	195.62	50.7
<b>स— राजस्व भारित</b>						
18	23	जल संसाधन विभाग	0.16	0	0.67	0.51
योग—स			0.16	0	0.67	0.51
महायोग अ+ब+स			2478.11	1.28	2661.81	183.70

(झोत: विनियोग लेखे 2017–18)

**परिशिष्ट 2.15**

(संदर्भ: कंडिका-2.2.11, पृष्ठ 36)

बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) घटित हुई परन्तु राशि समर्पण का हिस्सा नहीं है

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मांग संख्या	विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	बचत
1	12	ऊर्जा विभाग	269.41	217.08	52.33
<b>अ— राजस्व दत्तमत</b>					
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1885.66	1667.48	218.18
3	24	लोक कार्य— सड़क एवं पूल	1135.37	813.22	322.15
योग— अ			<b>3110.29</b>	<b>2523.01</b>	<b>587.28</b>
<b>ब—पूँजीगत दत्तमत</b>					
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	89.26	42.31	46.95
5	24	लोक कार्य— सड़क एवं पूल	2304.1	1495.49	808.61
6	42	जनजातीय क्षेत्रों उप योजना सड़कों और पुलों से संबंधित सार्वजनिक कार्य	1558.89	632.55	926.34
7	76	बाहरी तौर पर सहायता प्राप्त परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग से संबंधित	900	665.13	234.87
योग— ब			<b>4852.25</b>	<b>2835.48</b>	<b>2016.77</b>
<b>स— पूँजीगत दत्तमत</b>					
8	12	ऊर्जा विभाग	269.41	217.08	52.33
योग— स			<b>269.41</b>	<b>217.08</b>	<b>52.33</b>
<b>द— राजस्व भारित</b>					
9	24	लोक निर्माण कार्य सड़क एवं पूल	18.31	17.21	1.10
10	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	8.42	1.68	6.74
योग— द			<b>26.73</b>	<b>18.89</b>	<b>7.84</b>
महायोग (अ+ब+स+द)			<b>8258.68</b>	<b>5594.46</b>	<b>2664.22</b>

(झोत: विनियोग लेखे 2017–18)

## परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: कंडिका-2.2.11, पृष्ठ 36)

एक करोड़ एवं उससे अधिक का बचत का समर्पण नहीं किये गये

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मांग संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल प्रावधान	बचत	समर्पण	राशि जो समर्पित नहीं हुई
<b>अ— राजस्व दत्तमत</b>						
1	2	अन्य गृह सामान्य अनुभाग	28.96	10.26	8.43	1.83
2	3	पुलिस	4014.45	809.52	783.35	26.17
3	4	अन्य गृह विभाग	43.45	14.17	2.39	11.79
4	6	वित्त विभाग	5349.62	1330.86	56.26	1274.60
5	10	वन	1002.94	164.60	140.75	23.85
6	28	राज्य विधान	65.38	26.71	0.76	25.95
7	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	3861.04	532.91	475.18	57.72
8	36	परिवहन	69.33	34.67	32.06	2.61
9	47	तकनीकी शिक्षा और मैन पॉवर प्लानिंग विभाग	385.52	89.79	46.46	43.33
10	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक	4503.55	733.50	684.81	48.69
11	67	लोक निर्माण भवन	619.68	158.72	0.27	158.45
12	71	सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	103.53	41.76	36.93	4.83
13	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	591.72	160.36	108.50	51.86
<b>योग—अ</b>			<b>20639.17</b>	<b>4107.83</b>	<b>2376.15</b>	<b>1731.68</b>
<b>ब— पूँजीगत दत्तमत</b>						
14	1	सामान्य प्रशासननिक	106.66	18.43	0.16	18.27
15	8	भू—राजस्व और जिला प्रशासन	349.05	111.23	78.31	32.92
16	20	सार्वजनिक स्वास्थ्य यात्रिकी	298.50	78.31	76.67	1.64
17	29	न्याय एवं चुनाव प्रशासन	37.59	25.54	24.02	152
18	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	789.17	258.53	198.84	59.69
19	36	परिवहन	42.33	37.80	27.80	10.00
20	39	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण	7.24	4.58	1.34	3.24
21	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	3051.89	1088.35	962.95	125.40
22	47	तकनीकी शिक्षा और मैन पॉवर प्लानिंग विभाग	39.13	23.98	14.27	9.72
23	64	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	1179.32	485.10	319.34	165.76
24	67	लोक निर्माण भवन	598.45	263.46	4.67	258.79
25	68	जनजातीय क्षेत्र उप योजना निर्माण से संबंधित सार्वजनिक कार्य	257.14	141.51	0.47	141.05
26	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	234.14	27.23	24.23	3.00
<b>योग—ब</b>			<b>6990.61</b>	<b>2564.05</b>	<b>1733.07</b>	<b>831.00</b>
<b>स—राजस्व वसूली</b>						
27	10	वन	26.75	6.88	0.24	6.64
<b>योग—स</b>			<b>26.75</b>	<b>6.88</b>	<b>0.24</b>	<b>6.64</b>
<b>कुल योग = अ+ब +स</b>			<b>27656.53</b>	<b>6678.76</b>	<b>4109.46</b>	<b>2569.32</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

**परिशिष्ट 2.17**  
 (संदर्भ: कंडिका-2.2.12, पृष्ठ 36)  
**वर्ष 2017–18 के दौरान व्यय की अतिवेग**

₹ करोड़ में

संक्र.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का वर्णन	कुल व्यय	अंतिम तिमाही का व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय का प्रतिशत	अंतिम माह का व्यय	अंतिम माह का प्रतिशत व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2030	स्टाम्प और पंजीकरण	121.47	96.44	79.39	5.83	4.80
2	2204	खेल और युवा कल्याण	54.41	27.76	51.02	18.16	33.38
3	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	176.13	96.02	54.52	60.29	34.23
4	2250	नहरें तथा तालाब	9.21	9.00	97.72	2.62	28.45
5	2425	सहकारिता	159.20	122.91	77.20	51.48	32.34
6	2810	नवीन एवं अक्षय ऊर्जा	49.72	28.12	56.56	16.84	33.87
7	2885	उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00
8	3275	अन्य दूरसंचार सेवाएं	62.18	32.22	51.82	31.02	49.89
9	3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	53.35	27.31	51.19	15.19	28.47
10	3452	पर्यटन	19.11	12.79	66.93	3.20	16.75
11	3604	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	1364.66	801.45	58.73	508.25	37.24
12	4055	पूलिस, पूंजीगत परिव्यय	46.16	30.48	66.03	15.06	32.63
13	4059	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	384.37	264.73	68.87	206.03	53.60
14	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	27.44	26.41	96.25	26.15	95.30
15	4210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	401.20	231.30	57.65	71.83	17.90
16	4216	आवास पर पूंजी परिव्यय	23.81	12.28	51.57	3.81	16.00
17	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूंजीगत व्यय	387.41	309.56	79.91	191.75	49.50
18	4235	समाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	60.67	38.69	63.77	29.64	48.85
19	4401	कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय	3.25	3.15	96.92	2.24	68.92
20	4402	भूमि और जल संरक्षण पर पूंजी परिव्यय	19.92	10.12	50.80	2.31	11.60
21	4403	पशु पालन पर पूंजी परिव्यय	12.72	6.52	51.26	6.29	49.45
22	4406	वनिकी और अन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	20.06	16.19	80.71	9.88	49.25
23	4415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	16.58	15.73	94.87	15.73	94.87
24	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	11.02	9.52	86.39	7.96	72.23
25	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	277.24	224.12	80.84	224.09	80.83
26	4810	ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्त्रोतों पर पूंजी परिव्यय	773.32	541.01	69.96	402.46	52.04
27	5053	नगर विमान्न पर पूंजी परिव्यय	24.43	14.44	59.11	14.59	59.72
28	5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	1.78	1.78	100.00	1.78	100.00
<b>योग</b>			<b>4574.82</b>	<b>3020.05</b>	<b>66.01</b>	<b>1951.48</b>	<b>42.66</b>

(झोल: विनियोग लेखे 2017–18)

**परिशिष्ट 3.1**

(संदर्भ: कंडिका 3.1; पृष्ठ 41)  
बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्ष वार स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2015–16 तक		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	शहरी प्रशासन	15	1,984.76	01	918.00	26	51,886.22
2	स्थानीय निकास से क्षतिपूर्ति एवं समनुदर्शन	52	7,173.34	04	885.32	00	00
3	सामान्य शिक्षा	01	0.71	00	0	00	00
4	आवास	01	0.19	00	0	00	00
	योग	69	9,159	05	1,803.32	26	51,886.22

**परिशिष्ट 3.2**

(संदर्भ: कंडिका 3.2; पृष्ठ 43)  
31 जनवरी 2019 तक की लंबित वि.आ. देयकों का वितरण

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	लंबित वि.आ. देयक	राशि
2029	भू—राजस्व	1	1.38
2045	अन्य कर एवं वस्तुओं तथा सेवाओं पर शुल्क	1	0.18
2202	सामान्य शिक्षा	1	0.62
2230	श्रम एवं रोजगार	10	1.34
2235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22	35.01
2425	सहकारिता	6	11,400.00
2701	मध्यम सिंचाई	1	0.04
2851	ग्राम एवं लघु उद्योग	2	73.13
2852	उद्योग	3	3.14
	योग	47	11,514.84

**परिशिष्ट 3.3**

(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 44)

31 दिसम्बर 2018 तक राज्य शासन के द्वारा बकाया लेखे वाले सा.क्षे. उपक्रमों में निवेश

क्रं. सं.	सा.क्षे. उपक्रमों का नाम	प्रदत्त पूँजी	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण हुए	लंबित लेखे की अवधि	वर्ष के दौरान बकाया लेखे में राज्य शासन द्वारा अनुदान तथा प्रतिभूतियां (₹ करोड़ में)			
					पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रतिभूति	योग
1	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	0.50	2016–17	2017–18	—	46.02	—	46.02
2	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	5.00	2016–17	2017–18	—	0.54	36.00	36.54
3	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.10	2016–17	2017–18	—	188.00	—	188.00
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2263.10	2016–17	2017–18	1,338.04	1,573.25	2,455.00	5,366.29
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	6086.05	2016–17	2017–18	—	—	429.30	429.30
6	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	4.43	2016–17	2017–18	320.29	2,706.00	—	3,026.29
7	छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड	3.45	2016–17	2017–18	4.01	—	—	4.01
8	छत्तीसगढ़ राज्य अद्योसंरचना विकास निगम लिमिटेड	4.20	2014–15	2015–16 से 2016–17	—	7.80	—	7.80
				2017–18	10.00	10.00	—	20.00
9	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1.60	2013–14	2014–15 से 2016–17	—	116.89	—	116.89
				2017–18	8.74	195.14	—	203.88
10	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.10	प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	2016–17 से 2017–18	16.00	2.00	—	18.00
<b>योग</b>					<b>1,697.08</b>	<b>4,845.64</b>	<b>2,920.30</b>	<b>9,463.02</b>

## परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 45)

चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री के कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

संक्र.	विभाग/ईकाई का नाम	चोरी के प्रकरण		गबन प्रकरण		सरकारी भंडार/सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उच्च शिक्षा	14	12.93	2	0.62	1	0.0	17	13.55
2	कला एवं संस्कृति	1	0.81	0	0.00	1	0.0	2	0.81
3	जिला प्रशासन	1	0.67	5	0.81	1	3.00	7	4.48
4	लेखा एवं कोषालय प्रशासन	3	0.2	1	7.26	3	11.81	7	19.27
5	तकनीकि शिक्षा	6	2.3	0	0.00	7	50.31	13	52.61
6	ग्रामीण विकास	4	1.08	3	0.2	13	16.66	20	17.94
7	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल	0	0.00	0	0.00	1	0.57	1	0.57
8	महिला एवं बाल कल्याण	1	3.50	0	0.00	2	0.32	3	3.82
9	शिक्षा	21	12.94	18	156.11	19	67.09	58	236.14
10	पुलिस	34	6.56	5	19.45	129	15.76	168	41.77
11	जिला स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण	4	0.29	2	0.31	7	0.86	13	1.46
12	तहसील	2	0.5	11	1.87	2	0.18	15	2.55
13	राज्य उत्पाद	0	0.00	1	2.37	0	0.00	1	2.37
14	पशुपालन	8	1.8	1	0.1	155	12.65	164	14.55
15	पुलिस सेवा आयोग	0	0.00	0	0.00	1	3.16	1	3.16
16	सहकारिता	0	0.00	1	96.26	0	0.00	1	96.26
17	पंचायत एवं समाज कल्याण	0	0.00	0	0.00	2	1.00	2	1.00
18	डेयरी विकास	1	0.2	1	0.02	0	0.00	2	0.22
19	रेशम पालन	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
20	जिला एवं सत्र न्यायालय	5	0.28	2	8.83	0	0.00	7	9.11
21	श्रम एवं रोजगार	9	3.01	0	0.00	3	0.63	12	3.64
22	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0.00	1	0.08	3	0.15	4	0.23
23	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	3	1.14	4	20.48	8	1.24	15	22.86
24	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं	7	2.18	9	33.98	4	9.91	20	46.07
25	फसल पैदावार/कृषि कर्म	1	0.24	1	2.98	5	0.55	7	3.77

वर्ष 2017–18 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	वन	1	0.08	0	0.00	914	870.26	915	870.34
27	लोक निर्माण विभाग	2	0.24	0	0.00	468	10,316.51	470	10,316.75
28	जल संसाधन विभाग	7	3.67	0	0.00	14	550.01	21	553.68
29	वित्त एवं सांख्यिकी निदेशालय	1	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.05
30	कलेक्टरेट	0	0.00	1	0.08	1	0.30	2	0.38
31	शहरी विकास	0	0.00	1	0.15	0	0.00	1	0.15
32	जल एवं सफाई विभाग	0	0.00	1	189.9	0	0.00	1	189.9
योग		136	54.67	71	541.86	1,765	11,932.93	1,972	12,529.46

परिशिष्ट—3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 45)

31 मार्च 2018 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण

संक्र.	विभाग/इकाई का नाम	प्रकरण संख्या एवं राशि						
		पाँच वर्ष तक	05 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से उपर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	6 (1.80)	4 (7.23)	3 (3.78)	1 (0.13)	2 (0.11)	1 (0.50)	17 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	1 (0.00)	—	—	—	—	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	—	—	3 (1.08)	1 (0.16)	—	3 (3.24)	7 (4.48)
4	लेखा एवं कोषालय प्रशासन	—	—	3 (7.34)	—	1 (11.77)	3 (0.16)	7 (19.27)
5	तकनीकि शिक्षा	2 (0.15)	5 (48.80)	5 (3.41)	—	—	1 (0.25)	13 (52.61)
6	ग्रामीण विकास	1 (0.17)	1 (0.50)	2 (0.71)	4 (2.28)	4 (12.32)	8 (1.96)	20 (17.94)
7	भारत—तिब्बत सीमा पुलिस बल	1 (0.57)	—	—	—	—	—	1 (0.57)
8	महिला एवं बाल कल्याण	—	—	—	—	2 (3.50)	1 (0.32)	3 (3.82)
9	शिक्षा	9 (148.13)	2 (33.83)	6 (11.45)	3 (17.76)	2 (0.07)	36 (24.90)	58 (236.14)
10	पुलिस	93 (5.88)	44 (6.30)	16 (1.45)	9 (11.81)	4 (13.98)	2 (2.35)	168 (41.77)
11	जिला स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण	—	—	—	—	—	13 (1.46)	13 (1.46)
12	तहसील	—	—	3 (0.98)	—	—	12 (1.57)	15 (2.55)
13	राज्य उत्पाद	—	—	1 (2.37)	—	—	—	1 (2.37)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	पशुपालन	63 (6.00)	53 (3.77)	43 (4.09)	—	—	5 (0.69)	164 (14.55)
15	पुलिस सेवा आयोग	—	—	—	—	1 (3.16)	—	1 (3.16)
16	सहकारिता	—	—	—	—	1 (96.26)	—	1 (96.26)
17	पंचायत एवं समाज कल्याण	1 (1.00)	1 (0.00)	—	—	—	—	2 (1.00)
18	डेयरी विकास	—	—	—	1 (0.20)	—	1 (0.02)	2 (0.22)
19	रोशम पालन	1 (0.00)	—	—	—	—	—	1 (0.00)
20	जिला एवं सत्र न्यायालय	2 (0.17)	3 (1.04)	—	2 (7.90)	—	—	7 (9.11)
21	श्रम एवं रोजगार	—	2 (0.50)	—	5 (2.72)	1 (0.05)	4 (0.37)	12 (3.64)
22	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	—	—	1 (0.10)	—	—	3 (0.13)	4 (0.23)
23	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1 (0.17)	1 (0.00)	1 (19.58)	—	3 (0.48)	9 (2.63)	15 (22.86)
24	स्वारक्ष्य एवं चिकित्सा सेवायें	1 (0.00)	1 (9.84)	1 (0.06)	6 (33.02)	—	11 (3.15)	20 (46.07)
25	फसल पैदावार / कृषि कर्म	—	3 (0.16)	3 (0.63)	1 (2.98)	—	—	7 (3.77)
26	बन	12 (48.11)	15 (7.24)	105 (153.08)	170 (377.08)	220 (159.43)	393 (125.40)	915 (870.34)
27	लोक निर्माण विभाग	107 (4,376.51)	259 (4,808.04)	94 (549.58)	10 (582.62)	—	—	470 (10,316.75)
28	जल संसाधन विभाग	8 (364.54)	8 (183.01)	5 (6.13)	—	—	—	21 (553.68)
29	वित्त एवं सांचियकी निदेशालय	—	1 (0.05)	—	—	—	—	1 (0.05)
30	क्लेक्टरेट	—	—	—	—	—	2 (0.38)	2 (0.38)
31	शहरी विकास	—	—	—	—	—	1 (0.15)	1 (0.15)
32	जल एवं सफाई विभाग	—	—	—	—	—	1 (189.90)	1 (189.90)
	योग	309 (4,953.20)	403 (5,110.31)	295 (765.82)	213 (1,038.66)	241 (301.13)	512 (360.34)	1,972 (12,529.46)

**परिशिष्ट-3.6**

(संदर्भ: कंडिका 3.5: पृष्ठ 46)

वर्ष 2017–18 के दौरान सूचित किये गये हानि प्रकरणों में वसूली

(राशि ₹ में)

स.क्र.	प्र. क्र.	मुख्य शीर्ष	विभागों के नाम	हानि का प्रकार	वर्ष	हानि राशि	वसूली राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	410	2406	वन	हानि	1984–85	44,967	18,847
2	179	2406	वन	हानि	1996–97	13,500	13,500
3	253	2406	वन	हानि	2005–06	79,497	79,497
4	567	2406	वन	हानि	1996–97	12,371	12,371
5	313	2406	वन	हानि	1997–98	5,000	5,000
6	188	2406	वन	हानि	2016–17	3,962	3,962
7	63	2406	वन	हानि	2016–17	19,826	19,826
8	186	2406	वन	हानि	2019–17	1,468	1,468
9	155	2406	वन	हानि	1999–00	3,00,089	2,36,721
10	22	2406	वन	हानि	1996–97	34,783	34,783
11	26	2406	वन	हानि	2016–17	9,965	9,965
12	27	2406	वन	हानि	1995–96	23,985	23,985
13	59	2406	वन	हानि	2013–14	9,841	9,841
14	29	2406	वन	हानि	2016–17	4,007	4,007
15	31	2406	वन	हानि	1996–97	7,424	7,424
16	32	2406	वन	हानि	1992–93	13,907	13,907
17	33	2406	वन	हानि	2015–16	2,10,265	2,10,265
18	190	2406	वन	हानि	2019–17	12,360	12,360
19	189	2406	वन	हानि	2015–16	9,738	9,738
20	57	2406	वन	हानि	2013–14	8,011	8,011
21	42	2406	वन	हानि	1998–99	43,035	43,035
22	43	2406	वन	हानि	1994–95	17,241	17,241
23	44	2406	वन	हानि	2002–03	9,424	9,424
24	47	2406	वन	हानि	1991–94	1,473	1,473
25	61	2406	वन	हानि	2014–15	65,794	65,794
26	187	2406	वन	हानि	2017–18	25,164	25,164
27	65	2406	वन	हानि	2016–17	8,668	8,668
28	543	2055	पुलिस	हानि	2016–17	9,540	9,540
29	542	2055	पुलिस	हानि	2017–18	795	795
30	541	2055	पुलिस	हानि	2017–18	2,740	2,740
31	540	2055	पुलिस	हानि	2017–18	2,134	2,134
32	545	2055	पुलिस	हानि	2016–17	250	250
33	19	2055	पुलिस	हानि	1994–95	5,900	5,900
34	30	2055	पुलिस	हानि	2012–13	1,798	1,798
35	21	2055	पुलिस	हानि	2012–13	2,796	2,796
36	74	2055	पुलिस	हानि	2002–03	723	723
37	482	2055	पुलिस	हानि	2014–15	3,310	3,310
38	113	2055	पुलिस	हानि	2005–06	9,864	9,864
39	40	2055	पुलिस	हानि	2015–16	7,790	7,790
40	41	2055	पुलिस	हानि	2017–18	810	810

1	2	3	4	5	6	7	8
41	57	2055	पुलिस	हानि	200–02	18,350	18,350
42	04	2039	आबकारी	हानि	2003–04	2,37,198	2,37,198
43	22	2501	अनुसूचित जनजाति कल्याण	हानि	2014–15	4,160	4,160
44	19	2217	यू.ए.डी.	हानि	2012–13	14,445	14,445
45	11	2701	कृषि	हानि	2016–17	19,000	19,000
46	113	2055	पुलिस	हानि	2006–07	17,620	17,620
47	11	2070	राजस्व	हानि	1996–97	4,645	4,645
योग					13,59,633	12,89,145	

**परिशिष्ट-3.7**

(संदर्भ: कंडिका 3.6.1: पृष्ठ 46)  
व्यक्तिगत जमाखातें में भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि

स.क्र.	कोषालय का नाम	भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि (₹ करोड़ में)
1	अंबिकापुर	58.86
2	बिलासपुर	225.45
3	जगदलपुर	61.23
4	दुर्ग	6.22
5	कोरबा	47.46
6	जशपुर	11.68
7	कांकेर	12.43
8	जाँजगीर–चांम्पा	196.07
9	कोरिया	2.58
10	रायगढ़	336.87
11	राजनांदगाँव	41.54
12	धमतरी	8.23
13	महासमुंद	49.37
14	कबीरधाम	8.56
15	सुरजपुर	0.07
16	दंतेवाड़ा	6.34
17	बेमेतरा	3.49
18	रायपुर	259.97
19	कोणडागाँव	7.24
20	बलरामपुर	48.98
21	मुंगेली	35.89
22	सुकमा	0.43
23	बालोद	1.98
24	बलौदा बाजार	5.90
25	बीजापुर	0.18
26	गरियाबंद	22.11
योग		1,459.13

**परिशिष्ट—3.8**

(संदर्भ: कंडिका 3.6.3: पृष्ठ 48)

मार्च 2018 के दौरान व्यक्तिगत जमा खाते में हस्तांतरित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	प्रशासक	मुख्य शीर्ष	राशि
1	कलेक्टर— राजस्व अभिलेख, महासमुद्र	2029	0.25
2	अधीक्षक— केन्द्रीय कारागार, बिलासपुर	2056	0.47
3	सह—निदेशक, पंचायत कल्याण, बिलासपुर	2235	0.10
4	कलेक्टर, राजस्व अभिलेख, धमतरी	2029	0.30
5	उप. जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी	2015	0.02
6	तहसीलदार, सीतापुर, अम्बिकापुर	2053	0.72
7	निदेशक, पुरातत्व एवं अभिलेखागार, रायपुर	2205	0.12
योग			1.98

**परिशिष्ट—3.9**

(संदर्भ: कंडिका 3.7, पृष्ठ 49)

पूँजीगत के अंतर्गत बजट राजस्व प्रकृति के व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नमावली	प्रयोग्य शीर्ष	नमावली	राशि
1	4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत लागत	45		21.60
2	4202	शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत लागत	45		25.47
3	4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत लागत	45		9.60
4	4217	शहरी विकास पर पूँजीगत लागत	45		442.71
5	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पर पूँजीगत लागत	45		248.01
6	4403	पशुपालन पर पूँजीगत लागत	45	पूँजीगत सम्पत्ति सृजन हेतु अनुदान	0.25
7	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत लागत	45		557.96
8	4801	विद्युत परियोजना पर पूँजीगत लागत	45		274.09
9	4810	नव एवं अक्षय उर्जा पर पूँजीगत लागत	45		773.32
10	4851	ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजीगत लागत	45		0.60
11	5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत लागत	45		1.78
12	5452	पर्यटन पर पूँजीगत लागत	45		4.00
13	4059	पूँजीगत कार्यों पर पूँजीगत लागत	04	कार्यालय व्यय	0.10
14	4801	विद्युत परियोजना पर पूँजीगत लागत	04		0.03
15	4853	अलौह खनन एवं धातुकर्म पूँजीगत लागत	04	कार्यालय व्यय	0.05
16	4853	अलौह खनन एवं धातुकर्म पूँजीगत लागत	10	व्यवसायिक सेवा	2.50
17	4851	ग्राम एवं लघु उद्योग पूँजीगत लागत	24	अनुरक्षण कार्य	0.47
योग					2,362.54

## परिशिष्ट—3.10

(संदर्भ: कंडिका 3.8, पृष्ठ 49)

वर्ष 2017–18 के दौरान लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्ति में दर्ज का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ का प्रतिशत
1	0029	भू—राजस्व	446.41	97.90	21.93
2	0039	राज्य उत्पाद	4,054.00	874.31	21.57
3	0043	विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,688.95	223.00	13.20
4	0045	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	10.14	4.22	41.62
5	0055	पुलिस	17.08	13.56	79.39
6	0056	कारागार	6.38	1.35	21.16
7	0058	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	3.43	2.67	77.84
8	0059	लोक निर्माण	54.29	53.27	98.12
9	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	39.81	22.02	55.31
10	0071	पेशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ पर योगदान एवं प्राप्तियाँ	10.33	8.50	82.28
11	0075	विविध सामान्य सेवायें	(−) 0.29 <sup>1</sup>	0.59	—
12	0202	सामान्य शिक्षा	17.15	1.95	11.37
13	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	52.56	7.26	13.81
14	0211	परिवार कल्याण	0.06	0.06	100
15	0217	शहरी विकास	31.37	31.38	100.03
16	0220	सूचना एवं प्रचार	0.06	0.06	100
17	0230	श्रम एवं रोजगार	20.61	7.40	35.90
18	0235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.46	3.57	103.18
योग			6,456.38	1,353.07	

<sup>1</sup>प्राप्ति से अधिक वापसी होने के कारण ऋणात्मकता है। वर्ष के दौरान वापसी ₹9.69 करोड़ तथा प्राप्ति ₹9.40 करोड़ थी।

**परिशिस्ट–3.11**

(संदर्भ: कंडिका 3.8: पृष्ठ 49)

वर्ष 2017–18 में लघु शीर्ष “800” के अंतर्गत अन्य व्यय के तहत आरक्षित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800— अन्य व्ययों के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800— अन्य व्ययों के अंतर्गत कुल व्यय का प्रतिशत
1	2029	भ—राजस्व	577.59	101.00	17.49
2	2075	विविध सामान्य सेवायें	1.03	0.31	30.10
3	2245	प्राकृतिक विपदाओं से राहत	1,040.95	137.35	13.19
4	2250	अन्य सामाजिक सेवायें	9.46	1.57	16.60
5	2810	विद्युत	49.72	16.62	33.43
6	2852	उद्योग	200.08	23.58	11.79
7	2853	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	476.63	281.31	59.02
8	3275	अन्य संचार सेवायें	62.18	62.18	100
9	3454	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांखिकी	26.80	4.72	17.61
10	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत लागत	27.43	27.43	100
11	4405	मछली पालन पर पूँजीगत लागत	9.78	8.68	88.75
12	4700	वृहद सिंचाई पर पूँजीगत लागत	763.76	631.09	82.63
13	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत लागत	109.21	93.61	85.72
14	4801	विद्युत सिंचाई पर पूँजीगत लागत	277.24	105.00	37.87
15	5055	सड़क यातायात पर पूँजीगत लागत	4.53	4.03	88.96
योग			3,636.39	1,498.48	

**परिशिष्ट—3.12**  
 (संदर्भ: कंडिका 3.9.2: पृष्ठ 51)  
**अस्थाई अग्रिम की स्थिति**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष	प्रकरणों की संख्या	अग्रिम राशि आहरण
1	2	3	4	5
1	कलेक्टर कार्यालय, रायगढ़	1984 –2017	79	0.76
2	कलेक्टर कार्यालय, बिलासपुर	1999 – 2015	92	1.81
3	कलेक्टर कार्यालय, सुकमा	2014–17	10	1.18
4	कलेक्टर कार्यालय, जशपुर	2005–17	160	28.49
5	कलेक्टर कार्यालय, अंधिकापुर	1975–17	539	14.48
6	कलेक्टर कार्यालय, सुरजपूर	2012–17	12	0.25
7	जनपद पंचायत, कोण्डागाँव	2012–2017	33	14.86
8	जनपद पंचायत, रायगढ़	2012–17	27	6.61
9	आयुक्त, कार्यालय, नगर पालिक निगम, बस्तर	2016–17	02	1.17
10	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सरायपाली	2012–17	04	0.50
11	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर	2016–17	42	14.80
12	ग्राम पंचायत, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगाँव	2016–17	04	1.05
13	ग्राम पंचायत, अनथपुर, कोण्डागाँव	2015–17	01	0.73
14	उप निदेशक, कृषि बिलासपुर	2010–17	17	95.51
15	सहायक निदेशक, औद्योनिकी, बलौदाबाजार	2012.17	13	28.24
16	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग कोण्डल	2016–18	03	1.21
17	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नारायणपुर	2010–17	10	6.32
18	ग्राम पंचायत, बछरवार, बिलासपुर	2017–18	03	4.55
19	आयुक्त, नगर पालिक निगम, धमतरी	2013–17	35	12.54
20	आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंधिकापुर	1992–17 (शासकीय कर्मचारी) 2002–17 (अमृत मिशन पेयजल प्रदाय)	44 02	329.23 195.53
21	नगर परिषद, जामुल, दुर्ग	2007–17	03	4.60
22	रायपुर नगर निगम	2017–18	22	239.11
23	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, खैरागढ़	1982–17	51	11.19
24	आयुक्त, नगर निगम, चिरमिरी	1999–17	14	8.23
25	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सिमगा	2012–17	27	13.30
26	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पाली	2006–07 एवं 2012–13	27	55.10
27	आयुक्त, नगर पालिक निगम, वीरगाँव	2010–17	16	7.92
28	आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा	2015–16	270	1,083.0
29	आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, चौटेला	2013–17	9	2.31
30	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला परिषद, दंतेवाड़ा	2011–17	11	1.59
31	जनपद पंचायत, महेन्द्रगढ़ कोरिया	2005–17	21	21.84
32	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दोण्डी लोहारा	2009–2017	9	4.48
33	कार्यपालन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, अंधिकापुर	2013–2017	9	2.70
34	कार्यपालन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बस्तर संभाग	2003–2017	23	2.78
35	कार्यपालन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, खैरागढ़	जब तक 2017	84	1.17
36	उप-निदेशक, कृषि, बैमेतरा	2011–2017	8	33.85
37	कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, रायपुर	2014–2017	150	7.52
38	प्राचार्य, व्ही.वाइ.टी.पी.पी.जी. कॉलेज, दुर्ग	2014–2017	29	4.01
39	मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़	1996–17	7	0.70
योग				2,265.27

**परिशिष्ट –3.13**

(संदर्भ: कंडिका 3.9.3: पृष्ठ 52)

**रोकड़ पुस्तिका का अनियमित संधारण**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित ईकाई का नाम	क्षेत्र	आक्षेप की प्रकृति	राशि
1	जिला योजना एवं सांख्यिकी, सरगुजा	सामान्य क्षेत्र	बही खाता में प्रमाणकों पर निकासी दर्ज न करना	267.71
2	कलेक्टर कार्यालय, बलौदाबाजार		दैनिक लेन-देन दर्ज न करना	0.00
3	ग्राम पंचायत, सिघनपुर केशकाल, जिला—कोणडागाँव	स्थानीय निकाय	1. लेखा बही को दैनिक संधारण न करना। 2. 10,000 से अधिक की राशि नगद में भुगतान। 3. 05 / 2015 से 03 / 2017 तक खाता बही में नगद रखना।	0.00
4	ग्राम पंचायत, जम्हारी महासमुद	स्थानीय निकाय	10,000 से अधिक नगद में भुगतान	0.00
5	ग्राम पंचायत, मुधा महासमुद	स्थानीय निकाय	10,000 से अधिक नगद में भुगतान	0.00
6	ग्राम पंचायत, भोलापुर राजनांदगाँव	स्थानीय निकाय	1. 10,000 से अधिक नगद में भुगतान 2. बही खाता को प्रति दिन बंद न करना	0.00
7	सहायक निदेशक औद्यानिकी, रायगढ़	आर्थिक क्षेत्र	1. बही खाते में देयक/प्रमाणक संख्या तथा भुगतान का प्रकार प्रविष्ट न करना। 2. बही खाता को अभिप्रामाणित तथा समय पर बंद न करना। 3. लेखापरीक्षा दल तथा कार्यालय का गणना में अंतर।	5.18
8	सहायक निदेशक, औद्यानिकी बलौदाबाजार	आर्थिक क्षेत्र	1. केश बुक में 3,41,007 की राशि की कमी 2. बी.आर.एस. का संधारण न करना	3.41
9	उप निदेशक, औद्यानिकी रायपुर	आर्थिक क्षेत्र	1. केश बुक के गणना के दौरान अंतर। 2. केश बुक में राशि का विवरण न देना।	35.00
10	जनपद पंचायत, देवगांव नारायणपुर (तीन मामले)	स्थानीय निकाय	केशबुक प्रतिदिन बंद तथा अभिप्रामाणित न करना।	0.00
11	जनपद पंचायत लछनपुर, लोरमी	स्थानीय निकाय	सितम्बर 2017 तक केश बुक का संधारण न करना तथा 10,000/- से अधिक नगद में भुगतान करना।	0.00
12	जनपद पंचायत, गौरेला, (पाँच मामले)	स्थानीय निकाय	1. 10,000/- से अधिक की राशि नगद में भुगतान 2. केश बुक प्रतिदिन बंद न करना।	0.00
13	जनपद पंचायत माकरी (05 मामले)	स्थानीय निकाय	1. 10,000/- से अधिक नगद में भुगतान करना। 2. केश बुक प्रतिदिन बंद न करना।	0.00
14	जनपद पंचायत कोणडागाँव (05 मामले)	स्थानीय निकाय	1. 10,000/- से अधिक नगद में भुगतान करना। 2. केश बुक प्रतिदिन बंद न करना।	0.00
15	विकास खंड शिक्षा पदाधिकारी, पेण्ड्रा, बिलासपुर	सामाजिक क्षेत्र	प्राप्त अनुदान को केशबुक में इंद्राज न करना।	1.46
16	प्राचार्य, डीएसवी, स्नातकोत्तर शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर	सामाजिक क्षेत्र	केश बुक तथा बैंक पासबुक के योग में अंतर।	1.70
17	उप-निदेशक कृषि, बलरामपुर	आर्थिक क्षेत्र	भू-जांच व्यय को केशबुक में इंद्राज न करना।	26.50
18	उप-निदेशक कृषि, महासमुद	आर्थिक क्षेत्र	1. टीडीएस को केशबुक में इंद्राज न करना। 2. केशबुक के प्राप्ति में न दिखाया जाना।	0.81
19	उप-निदेशक कृषि, बालौद	आर्थिक क्षेत्र	टीडीएस को केशबुक में इंद्राज न करना।	0.37
20	उप-निदेशक कृषि, दुर्गा	आर्थिक क्षेत्र	टीडीएस को केशबुक में इंद्राज न करना।	0.12
21	विकास खंड स्वास्थ्य अधिकारी, धमतरी	सामाजिक क्षेत्र	केशबुक के अंतःशेष तथा प्रारंभिक शेष में अनियमितता।	1.00
22	जिला अस्पताल, बैंकंठपुर, कोरिया	सामाजिक क्षेत्र	केशबुक तथा बैंक पासबुक के मिलान में अंतर।	8.35
23	प्राचार्य, शासकीय दंत महाविद्यालय, रायपुर	सामाजिक क्षेत्र	केशबुक तथा बैंक पासबुक के मिलान में अंतर।	5.21
24	सहायक आयुक्त, जनजाति विभाग बालौद	सामाजिक क्षेत्र	केशबुक तथा बैंक पासबुक के मिलान में अंतर।	357.63
25	जनपद पंचायत, छुरिया	स्थानीय निकाय	1. केश बुक प्रतिदिन बंद न करना। 2. 10,000/- से अधिक की राशि नगद में भुगतान 3. केशबुक को सत्यापित न करना। 4. 20,000 से अधिक नगद में रखना।	0.00
26	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर, रायपुर	सामाजिक क्षेत्र	केशबुक तथा बैंक पासबुक के मिलान में अंतर।	1.50
<b>योग</b>				<b>898.97</b>

